



सत्यमेव जयते

वित्त लेखे (खण्ड - I) (2022-23)



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तराखण्ड सरकार

उत्तराखण्ड सरकार

वित्त लेखे (खण्ड-I)

वर्ष 2022-23

उत्तराखण्ड सरकार

विषय सूची		
	विषय	पृष्ठ संख्या
	खण्ड I	
.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	iv-v
.	वित्त लेखे की मार्गदर्शिका	vii-xiii
1.	वित्तीय स्थिति का विवरण	2-3
2.	प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण	4-6
	• विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक (रोकड़ प्रवाह विवरण)	7-8
3.	प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)	9-11
4.	व्यय का विवरण (समेकित निधि)	
	अ. क्रियाकलापवार व्यय	12-15
	ब. प्रकृतिवार व्यय	16-19
5.	प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण	20-22
6.	उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण	23-27
7.	सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण	28-30
8.	सरकार के निवेशों का विवरण	31
9.	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण	32
10.	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण	33-34
11.	दत्तमत एवं भारित व्यय का विवरण	35-36
12.	राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का विवरण	37-39
13	शेषों का सार (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)	40-42
.	वर्ष 2022-23 हेतु वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	43-55

विषय सूची		
	विषय	पृष्ठ संख्या
खण्ड II		
भाग I-ब्यौरेवार विवरण		
14.	लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण	58-91
15.	लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण	92-145
16.	लघु शीर्षवार एवं उपशीर्षवार पूँजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण	146-260
17.	उधार एवं अन्य देयताओं का ब्यौरेवार विवरण	261-278
18.	सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरेवार विवरण	279-288
19.	सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण	289-290
20.	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का ब्यौरेवार विवरण	291-294
21.	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण	295-317
22.	उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण	318-320
भाग II : परिशिष्ट		
I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय	322-328
II	उपादान पर तुलनात्मक व्यय	329-334
III	राज्य सरकार द्वारा दिया गया सहायक अनुदान/ सहायता (संस्थावार एवं योजनावार)	335-357
IV	बाह्य सहायतित परियोजनाओं का ब्यौरेवार विवरण	358-360
V	योजनाओं पर व्यय (क. केन्द्रीय योजनाएँ, ख. राज्य योजनाएँ)	361-375
VI	राज्य में कार्यान्वित संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (बिना जाँचा हुआ आँकड़ा)	376-393
VII	शेषों की स्वीकृति तथा मिलान (जैसा कि विवरण संख्या 18 तथा 21 में दर्शाया गया है)	394-397
VIII	सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम	398
IX	31 मार्च 2023 को अपूर्ण लोक निर्माण कार्यों के अनुबंधों की प्रतिबद्धता का विवरण	399-431
X	वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य के अनुरक्षण व्यय का विवरण (31 मार्च 2023 को)	432-433
XI	वर्ष के दौरान सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएँ	434-437
XII	सरकार की वचनबद्ध देयताएँ	438-439
XIII	ऐसे मदों का विवरण, जिनके शेषों का निर्धारण राज्यों के पुनर्गठन के कारण अंतिम रूप से नहीं किया जा सका	440

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार की वर्ष की प्राप्तियों और संवितरणों के वित्त लेखों जिनमें संचित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा से / में लेन-देन वाले संव्यवहार सम्मिलित हैं, के साथ वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखाओं के संकलन में दो खंड शामिल हैं; खंड- I में वित्त की स्थिति की समेकित स्थिति और 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां' शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश शामिल है और खंड - II लेखाओं को विस्तार से दर्शाता है। वर्ष के लिए अनुदानों और प्रभारित विनियोगों हेतु सरकार के विनियोग लेखे, जो बजट तुलना का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग से प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, 'वित्त लेखाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों' के साथ पढ़े जाने वाले वित्त लेखे उचित वित्तीय स्थिति और वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार की प्राप्तियां और संवितरण प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं की लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से प्राप्त टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही उत्तराखण्ड सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे उत्तराखण्ड सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे वित्त लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत उत्तराखण्ड के महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।


वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और उत्तराखण्ड सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

इस संकलन में विवरण (9 एवं 20, विवरण संख्या 14 की व्याख्यात्मक टिप्पणी 2) और परिशिष्ट (IV, V, VI, VIII, IX, XI एवं XII) सीधे उत्तराखण्ड सरकार एवं संघ सरकार से प्राप्त जानकारी से तैयार किए गए हैं जो ऐसी जानकारी के लिए उत्तरदायी हैं।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।



दिनांक: **27 OCT 2023**

स्थान: नई दिल्ली

(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

(अ) सरकारी लेखाओं की संरचना का विस्तृत विहंगावलोकन:-

1. उत्तराखण्ड सरकार के वित्त लेखे, राजस्व एवं पूँजीगत लेखाओं द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों के लेखाओं तथा लेखे में दर्ज शेषों के आधार पर राज्य सरकार के लोक ऋण एवं देयताएँ व परिसम्पत्तियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करते हैं | वित्त लेखे के साथ विनियोग खाते होते हैं, जो अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध व्यय की तुलना प्रस्तुत करते हैं।
2. सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग-I : समेकित निधि:

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केन्द्रीय सरकार से लिया गया ऋण, वित्तीय संस्थानों से लिया गया ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम एवं ऋण की अदायगी के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राशियाँ सम्मिलित हैं | विधि के अनुसार एवं भारतीय संविधान में उपबंधित उद्देश्यों एवं रीति के अलावा इस निधि से कोई भी धनराशि विनियोजित नहीं की जा सकती है | व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे- संवैधानिक अधिकारियों का वेतन, ऋण अदायगी आदि) राज्य की संचित निधि पर भारित (प्रभारित व्यय) होता है एवं विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है | अन्य सभी व्ययों पर (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है |

समेकित निधि में दो अनुभाग सम्मिलित हैं: राजस्व एवं पूँजीगत (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिमों सहित) | इन्हें आगे “प्राप्तियों” एवं “व्यय” में वर्गीकृत किया गया है | राजस्व प्राप्तियाँ अनुभाग को तीन क्षेत्रकों में विभाजित किया गया है, जैसे ‘कर राजस्व’, ‘करेतर राजस्व’ एवं ‘सहायता अनुदान व अंशदान’ | ये तीन क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में बँट जाते हैं, जैसे- ‘आय एवं व्यय पर कर’, ‘राजकोषीय सेवाएँ’ आदि | ‘पूँजीगत प्राप्तियाँ’ अनुभाग में कोई क्षेत्रक अथवा उप-क्षेत्रक नहीं होता | राजस्व व्यय अनुभाग चार क्षेत्रकों में विभाजित होता है- जैसे “सामान्य सेवाएँ”, “सामाजिक सेवाएँ”, “आर्थिक सेवाएँ” एवं “सहायता अनुदान व अंशदान” | ‘राजस्व व्यय’ अनुभाग के अंतर्गत ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में बँट जाते हैं, जैसे- “राज्य के अंग”, “शिक्षा, खेल, कला व संस्कृति” आदि | ‘पूँजीगत व्यय’ अनुभाग- सात क्षेत्रकों में उपविभाजित किया जाता है- जैसे “सामान्य सेवाएँ”, “सामाजिक सेवाएँ”, “आर्थिक सेवाएँ”, “लोक ऋण”, “ऋण एवं अग्रिम”, “अंतर्राज्यीय समायोजन” एवं ‘आकस्मिकता निधि को विनियोजन’ |

भाग-II आकस्मिकता निधि:

यह निधि एक अग्रदाय के रूप में होती है जिसे राज्य विधायिका विधि द्वारा स्थापित किया जाता है एवं जो अप्रत्याशित व्यय जिसका अनुमोदन राज्य विधानमंडल द्वारा लंबित होता है, के वहन के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु राज्यपाल के अधीन होता है | राज्य के समेकित निधि से सम्बंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष में व्ययों को नामे करके आपूर्ति किया जाता है | वर्ष 2022-23 के लिए उत्तराखण्ड सरकार की आकस्मिकता निधि में ₹ 5,00.00 करोड़ है |

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

भाग-III लोक लेखा:


सरकार या सरकार की ओर से प्राप्त किये गए अन्य सभी लोक धन, जहाँ सरकार एक बैंकर अथवा न्यासी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा किए जाते हैं | लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे-अल्प बचत एवं भविष्य निधि, जमा (ब्याज एवं बिना ब्याज), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज एवं बिना ब्याज), धन-प्रेषण एवं उच्चत शीर्ष (जिनमे दोनों अंतिम लेखांकन के लम्बित रहने तक पारगमन शीर्ष हैं) सम्मिलित होते हैं | सरकार के पास उपलब्ध कुल नकद शेष भी लोक लेखा के अंतर्गत शामिल किया जाता है | लोक लेखा में छः क्षेत्रक होते हैं- नामतः 'अल्प बचत', 'भविष्य निधि आदि' 'आरक्षित निधि', 'जमा एवं अग्रिम', 'उच्चत एवं विविध', 'प्रेषण' एवं 'रोकड़ शेष' | ये क्षेत्रक आगे उप-क्षेत्रकों में उपविभाजित होते हैं | लोक लेखा विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं है |

- सरकारी लेखा एक छह स्तरीय वर्गीकरण के अंतर्गत प्रस्तुत होता है नामतः मुख्य शीर्ष (चार अंक), उप-मुख्य शीर्ष (दो अंक), लघु शीर्ष (तीन अंक), उप-शीर्ष (दो अंक), विस्तृत शीर्ष (दो अंक) एवं वस्तु शीर्ष (दो अंक) | मुख्य शीर्ष सरकार के कार्यों का, उप-मुख्य शीर्ष उप-कार्यों का, लघु शीर्ष कार्यक्रमों/गतिविधियों का, उप शीर्ष योजनाओं का, विस्तृत शीर्ष उप योजनाओं का एवं वस्तु शीर्ष व्यय का उद्देश्य/वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है |
- लेखाओं में वर्गीकरण की मुख्य इकाई मुख्य शीर्ष है जिसमें निम्नलिखित कोडिंग पद्धति निम्नवत है: (31 मार्च 2023 तक संशोधित मुख्य व लघु शीर्षों की सूची के अनुसार)-

0005 से 1606	राजस्व प्राप्तियाँ
2011 से 3606	राजस्व व्यय
4000	पूँजीगत प्राप्तियाँ
4046 से 7810	पूँजीगत व्यय (लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम सहित)
7999	आकस्मिकता निधि को विनियोजन
8000	आकस्मिकता निधि
8001 से 8999	लोक लेखा

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

5. लेखे की संरचना का सचित्र वर्णन नीचे दिया गया है:



वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किये जाते हैं :

खण्ड-I में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, वित्त लेखे की निर्देशिका, तेरह (13) विवरण, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति एवं संव्यवहारों की संक्षिप्त जानकारी देते हैं, एवं 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' शामिल होते हैं | **खण्ड-I** में तेरह विवरणों एवं 'वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' का विवरण नीचे दिया गया है-

1. वित्तीय स्थिति का विवरण:

यह विवरण राज्य सरकार की परिसंपत्ति एवं दायित्वों के संचयी आँकड़ों की स्थिति तथा गत वर्ष की समाप्ति पर उनकी स्थिति से तुलना को दर्शाता है |

2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण :

यह विवरण राज्य सरकार के चालू वर्ष में सरकारी लेखे के तीन भागों, नामतः समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे, में सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को दर्शाता है | इसके अतिरिक्त, इसके साथ एक अनुलग्नक होता है, जो सरकार के नकद शेषों (निवेश सहित) का वैकल्पिक चित्रण दर्शाता है | अनुलग्नक विस्तृत रूप से सरकार की अर्थोपाय अग्रिम की स्थिति को भी दर्शाता है |

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि):

यह विवरण राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों, उधार एवं राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋणों के पुनर्भुगतान को दर्शाता है | यह विवरण वित्त लेखे के खंड-II ब्यौरेवार विवरण संख्या 14, 17 एवं 18 के अनुरूप है |

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि):

वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर तक सामान्य वर्णन से भिन्न यह विवरण व्यय की गतिविधि की प्रकृति (व्यय का उद्देश्य) का भी ब्यौरा देता है | यह खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 15, 16, 17 एवं 18 के अनुरूप है |

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण:

यह विवरण खण्ड-II में ब्यौरेवार विवरण संख्या 16 के अनुरूप है |

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण:

सरकार के उधारों के अन्तर्गत बाज़ार से लिया गया ऋण (आंतरिक ऋण) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं | 'अन्य दायित्वों' में 'अल्प बचत, भविष्य निधि', 'आरक्षित निधि' एवं 'जमा' शामिल होते हैं | इस विवरण में ऋण सेवा पर टिप्पणी भी सम्मिलित है एवं यह खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 17 के अनुरूप है |

7. सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण:

यह विवरण राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणग्राहियों जैसे-सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकाय/प्राधिकरण एवं प्राप्तकर्ता व्यक्तियों (सरकारी कर्मियों सहित) को दिए गये ऋण तथा पेशगियों को दर्शाता है | यह विवरण खण्ड-II में ब्यौरेवार विवरण संख्या 18 के अनुरूप है |

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

8. सरकार के निवेशों का विवरण:

यह विवरण राज्य सरकार के सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त कम्पनियों, सहकारी संस्थान एवं स्थानीय निकायों के समता पूँजी में किये गए निवेश को दर्शाता है | यह खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 19 के अनुरूप है |

9. सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूतियों का विवरण:

इस विवरण में सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों द्वारा लिए गये ऋणों पर मूलधन व ब्याज की अदायगी पर राज्य सरकार द्वारा दी गयी वचनबद्धताओं को संक्षिप्त में दर्शाया गया है | यह विवरण खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 20 के अनुरूप है |

10. सरकार द्वारा दिए गये सहायता अनुदानों का विवरण:

यह विवरण 'अनुदान प्राप्तकर्ता' के विभिन्न वर्गों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्तशासी एवं अन्य निकायों/ प्राधिकरणों एवं व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा दिए गये सभी अनुदानों को दर्शाता है | परिशिष्ट-III प्राप्तकर्ता संस्थानों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है |

11. दत्तमत एवं भारित व्यय का विवरण:

यह विवरण वित्त लेखे में प्रदर्शित निवल आँकड़ों को विनियोग लेखे में दर्शाए गये सकल आँकड़ों के साथ अनुरूपता दर्शाने में सहायक होता है |

12. राजस्व लेखे से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का विवरण:

यह विवरण इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय की प्रतिपूर्ति राजस्व प्राप्तियों से अदा की जानी चाहिए, जबकि पूँजीगत व्यय राजस्व आधिक्य, लोक लेखा में निवल जमा शेष, वर्ष के आदि रोकड़ शेष तथा उधारों से पूरित होना चाहिये |

13. शेषों का सार (समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा):

यह विवरण लेखे की परिशुद्धता प्रमाणित करने में सहायक है | यह विवरण खण्ड-II के ब्यौरेवार विवरण संख्या 14, 15, 16, 17, 18 एवं 21 से सम्बन्धित है |

‘वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ’ और महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

‘वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ’ प्रकटीकरण और व्याख्यात्मक नोट प्रदान करते हैं, जिनका उद्देश्य लेनदेनों, लेनदेनों के वर्गों, शेष राशि आदि से संबंधित अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रदान करना है, जो वित्त लेखों के हितधारकों/उपयोगकर्ताओं के लिए सहायक होगा।

बजट और वित्तीय रिपोर्टिंग के आधार पर, भारत सरकार के लेखांकन मानकों (आईजीएएस) की आवश्यकताओं, खातों के रूप, पूँजी और राजस्व व्यय के बीच वर्गीकरण, पूर्णांकन, आवधिक समायोजन आदि सहित महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को वित्त लेखे के खण्ड-I में ‘वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ’ के भाग के रूप में शामिल किया गया है।

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

वित्त लेखे के खण्ड-II में दो भाग हैं – भाग एक में नौ ब्यौरेवार विवरण एवं भाग दो में तेरह परिशिष्ट हैं |

खण्ड-II का भाग-I

14. **लघु शीर्षवार राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण, खण्ड-I में संक्षिप्त विवरण संख्या 3 के अनुरूप है | लघु शीर्ष स्तर पर राजस्व प्राप्तियों के विवरण का प्रतिनिधित्व करने के अलावा, यह विवरण केंद्र सरकार से सहायता अनुदान के संबंध में उप-शीर्ष स्तर पर विवरण दर्शाता है |
15. **लघु शीर्षवार राजस्व व्यय का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण जो खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 4 के अनुरूप है, राज्य सरकार के राजस्व व्ययों को दर्शाता है | प्रभारित एवं दत्त मत व्यय को अलग-अलग प्रदर्शित किया जाता है |
16. **लघु शीर्षवार एवं उपशीर्षवार पूंजीगत व्यय का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 5 के अनुरूप होता है, जो राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी) को प्रदर्शित करता है | प्रभारित एवं दत्त मत व्यय अलग प्रदर्शित किया जाता है | लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय के विवरण प्रस्तुत करने के अलावा महत्वपूर्ण योजनाओं के सम्बन्ध में यह विवरण उपशीर्ष स्तर पर भी ब्यौरा दर्शाता है |
17. **उधार एवं अन्य देयताओं का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 6 के अनुरूप है, इसमें राज्य सरकार द्वारा लिए गये सभी ऋणों का विवरण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ आदि) एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाये गये अर्थोपाय अग्रिम शामिल होते हैं | यह विवरण तीन वर्गों के तहत ऋणों की जानकारी देता है: (अ) व्यक्तिगत ऋणों का विवरण (ब) परिपक्वता विवरणिका अर्थात् अलग-अलग वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में देय राशि (स) बकाया ऋणों पर ब्याज दरों का खाका एवं बाजार ऋणों को दर्शाने वाला अनुलग्नक |
18. **सरकार द्वारा दिए गये ऋणों एवं अग्रिमों का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण खण्ड-I के संक्षिप्त विवरण संख्या 7 के अनुरूप है |
19. **सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार विवरण:** यह विवरण वर्ष के दौरान निवेशों के इकाई-वार और प्रमुख और लघु शीर्ष-वार निवेशों का विवरण दर्शाता है, जहां विवरण 16 और 19 के बीच अंतर है। यह विवरण खंड I में विवरण 8 के अनुरूप है।
20. **सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण अधिष्ठान वार सरकार की प्रत्याभूतियों का विवरण प्रस्तुत करता है | यह विवरण खण्ड-I के विवरण संख्या 9 के अनुरूप है |
21. **आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा संव्यवहारों का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण लघु शीर्ष स्तर तक आकस्मिकता निधि की अनापूर्ति धनराशि, वर्ष के दौरान लोक लेखे के लेन-देनों की समेकित स्थिति एवं वर्ष के अंत में बकाया शेषों को प्रस्तुत करता है |
22. **उद्दिष्ट निधियों के निवेश का ब्यौरेवार विवरण :** यह विवरण आरक्षित निधि एवं जमा (लोक लेखा) से किये गए निवेश के ब्यौरे को प्रदर्शित करता है |

वित्त लेखे की मार्गदर्शिका

खण्ड-II का भाग-II

भाग-II में तेरह परिशिष्ट होते हैं जो विभिन्न मदों वेतन, सब्सिडी, सहायता अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना आदि शामिल हैं। ये विवरण उप शीर्ष स्तर अथवा नीचे (अर्थात् लघु शीर्ष स्तर से नीचे) तक लेखे में दर्शाये जाते हैं, इसलिए साधारणतया वित्त लेखे में नहीं दर्शाये जाते हैं। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खण्ड-I अथवा खण्ड-II में 'विषय सूची' में दृष्टिगोचर होता है। परिशिष्टों के साथ पठित वित्त लेखे के विवरण और 'वित्त लेखाओं पर टिप्पणियाँ' वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों के लेखों के साथ-साथ सरकार की वित्तीय स्थिति को प्रस्तुत करती हैं।

(ब) शीघ्र गणकः

निम्न अनुभाग खण्ड-I में दर्शाये गये संक्षिप्त विवरणों को खण्ड-II में विस्तृत विवरणों तथा परिशिष्टों के साथ जोड़ता है। (परिशिष्ट, जिनका संक्षिप्त विवरणों से सीधा सम्पर्क नहीं है, को नीचे नहीं दर्शाया गया है)।

मानदंड	खण्ड-I	खण्ड-II	
	संक्षिप्त विवरण	ब्यौरेवार विवरण	परिशिष्ट
राजस्व प्राप्तियाँ (प्राप्त अनुदानों सहित), पूँजीगत प्राप्तियाँ	2,3	14	
राजस्व व्यय	2,4	15	I (वेतन), II (उपादान)
सरकार द्वारा प्रदत्त सहायक अनुदान	2,10		III (सहायता अनुदान)
पूँजीगत व्यय	1,2,4,5,12	16	I (वेतन)
सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम	1,2,7	18	
ऋणों की स्थिति /उधार	1,2,6	17	
सरकारी कम्पनी, निगमों इत्यादि में सरकार का निवेश	8	19	
रोकड़	1,2,12,13		
लोक लेखा में अवशेष तथा उनका निवेश	1,2,12,13	21,22	
प्रत्याभूति	9	20	
योजनायें			IV (बाह्य सहायतित परियोजना)

1. वित्तीय स्थिति का विवरण				
संपत्ति ¹	सन्दर्भ (विवरण संख्या)		31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
	वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण		
(₹ करोड़ में)				
रोकड़				
(i) कोषागारों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		
(ii) विभागीय शेष		21	(-) 10.71	(-) 10.71
(iii) स्थायी नकद अग्रदाय		21	(-) 0.81	(-) 0.81
(iv) नकद शेष निवेश		21	653.37	2,037.62
(v) भारतीय रिजर्व बैंक में जमा (यदि जमा राशि है तो ऋणात्मक चिन्ह से सम्मिलित करें)	5(viii)		(-)131.82	112.46
(vi) उद्दिष्ट निधियों से निवेश		21 एवं 22	1,808.62	1,698.62
पूँजीगत व्यय				
(i) कंपनियों, निगमों आदि के शेयरों में निवेश ²		8 एवं 19	4,043.90	3,818.94
(ii) अन्य पूँजीगत व्यय		16	76,009.58	68,040.03
आकस्मिकता निधि (अप्रतिपूर्तित)	4	21	178.50	268.66
ऋण एवं अग्रिम	3(xii)	18	2,454.61	2,378.28
विभागीय अधिकारियों के पास अग्रिम		21	0.42	0.42
उच्चंत तथा विविध शेष ³	5(iii)	21	(-)208.79	(-) 481.01
प्रेषण शेष		21	(-)88.23	(-) 71.01
प्राप्तियों पर व्यय का संचयी आधिक्य ⁴		वि0सं0 13 एवं 16	...	1,430.83
योग			84,708.64	79,222.32

¹परिसंपत्तियों तथा देयताओं के आंकड़े संचयी (Cumulative) हैं | कृपया 'लेखाओं पर टिप्पणियाँ' संख्या 1 (v) देखिए |

²कम्पनियों, सांविधिक निगमों आदि के शेयरों में पूँजीगत व्यय से निवेश अलग दर्शाया गया है |

³इस विवरण में पंक्ति मद 'उच्चंत एवं विविध शेषों' में 'नकद शेष निवेश लेखा' 'विभागीय शेषों' एवं 'स्थाई नकद अग्रदाय' सम्मिलित नहीं है, जिसे उपर अलग से दर्शाया गया है, यद्यपि इन लेखों में अन्यत्र ये मद इस क्षेत्र का हिस्सा बनते हैं |

⁴प्राप्तियों का व्यय से संचयी (Cumulative) आधिक्य या व्यय का प्राप्तियों से संचयी आधिक्य वर्तमान वर्ष के राजकोषीय / राजस्व घाटे से भिन्न है |

1. वित्तीय स्थिति का विवरण				
देयताएं	सन्दर्भ (विवरण संख्या)		31 मार्च	31 मार्च
	वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ	विवरण	2023 को	2022 को
			(₹ करोड़ में)	
उधार (लोक ऋण)				
(i) आन्तरिक ऋण		17	53,558.43	53,759.16
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम		17	8,600.36	7,443.32
(अ) आयोजनेतर ऋण		17	1.80	2.23
(ब) राज्य आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		17	377.36	428.72
(स) केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		17
(द) केन्द्रीय प्रायोजित आयोजनागत योजनाओं हेतु ऋण		17
(य) अन्य ऋण		17	8,221.20	7,012.37
आकस्मिकता निधि (संग्रह/संचय)		4	21	500.00
लोक लेखे पर दायित्व				
(i) अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ आदि		17 एवं 21	9,453.58	9,330.63
(ii) जमा		17 एवं 21	3,880.66	3,536.19
(iii) आरक्षित निधियाँ		17 एवं 21	4,824.64	4,653.02
(iv) प्रेषण शेष		17 एवं 21
(v) उच्चत और विविध शेष		5(iii)	17 एवं 21	...
प्राप्तियों का व्यय पर संचयी आधिक्य			3,890.97	...
योग			84,708.64	79,222.32

2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण					
	प्राप्तियाँ			भुगतान	
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
				(₹ करोड़ में)	
भाग - I समेकित निधि					
खण्ड-क : राजस्व					
राजस्व प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं०3 एवं 14	49,082.70	43,056.99	राजस्व व्यय सन्दर्भ वि० सं० 4A,4B एवं 15	43,772.73	38,928.95
कर राजस्व (राज्य द्वारा अधिरोपित/एकत्रित) सन्दर्भ वि० सं०3 एवं 14	17,102.53	14,176.12	वेतन ¹ सन्दर्भ वि० सं० 4B एवं परिशिष्ट I	13,515.35	12,417.34
करेत्तर राजस्व सन्दर्भ वि० सं०3 एवं 14	4,366.55	2,755.96	उपादान सन्दर्भ परिशिष्ट II	289.20	145.08
		...	सहायक अनुदान ^{2&3} सन्दर्भ वि० सं० 4B,10 एवं परिशिष्ट III	5,590.66	5,858.45
ब्याज प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं०3 एवं 14	759.04	403.55	सामान्य सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4 एवं 15		...
अन्य सन्दर्भ वि० सं०3	3,607.51	2,352.41	ब्याज अदायगी तथा ऋण शोधन सन्दर्भ वि० सं० 4 एवं 15	5,213.63	5,148.83
योग-करेत्तर राजस्व सन्दर्भ वि० सं०3 एवं 14	4,366.55	2,755.96	पेंशन सन्दर्भ वि० सं० 4A,4B एवं 15	7,180.52	6,364.46
संघीय करों/शुल्कों का अंश सन्दर्भ वि० सं०3 एवं 14	10,617.01	9,906.25	अन्य सन्दर्भ वि० सं० 4A,4B एवं 15	1,132.05	1,008.13
		...	योग सन्दर्भ वि० सं० 4A,4B एवं 15	13,526.20	12,521.42
		...	सामाजिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 15	6,062.88	5,169.99
		...	आर्थिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 15	2,747.78	1,276.34
केंद्र सरकार से अनुदान सन्दर्भ वि० सं०3 एवं 14	16,996.61	16,218.66	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन सन्दर्भ वि० सं० 4A,10 एवं 15	2040.66 ⁴	1540.33
राजस्व घाटा		...	राजस्व आधिक्य	5,309.97	4,128.04

¹ एक समेकित आँकड़े के रूप में प्रदर्शित करने के लिए सभी प्रभागों के वेतन, सब्सिडी, एवं सहायक अनुदान सम्बन्धी आंकड़ों को जोड़ दिया गया है। इस विवरण में क्षेत्रों 'सामान्य', 'सामाजिक' एवं 'आर्थिक सेवाओं' के अधीन दर्शाये गये व्यय के अंतर्गत वेतन, सब्सिडी तथा सहायक अनुदान सम्मिलित नहीं है। (पाद टिप्पणी (ब) में व्याख्यायित)

² सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, कम्पनियों, स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों आदि को सहायक अनुदान दिया जाता है, जिसे उपर पंक्ति मद के रूप में दर्शाया गया है। ये अनुदान स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन हेतु दिये जाने वाले शुल्कों, करों से भिन्न है जिन्हें "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" के रूप में पृथक से दर्शाया गया है।

³ सहायक अनुदान में मुख्य शीर्ष - 3604, 'स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन', (जिसे अलग से दर्शाया गया है) के अलावा सभी मुख्य शीर्षों के वस्तु शीर्ष-05,56-'सहायक अनुदान/अंशदान तथा राज्य सहायता' का योग सम्मिलित हैं।

⁴ इसमें ₹ 1,491.55 करोड़ समनुदेशन एवं ₹ 549.11 करोड़ अन्य विभागीय व्यय सम्मिलित है।

2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण					
	प्राप्तियाँ			भुगतान	
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
				(₹ करोड़ में)	
भाग - I समेकित निधि					
खण्ड ख पूँजीगत					
पूँजीगत प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 3 एवं 14	11.83	...	पूँजीगत व्यय सन्दर्भ वि० सं० 4A, 4B एवं 16	8,194.51	7,533.50
		...	सामान्य सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 16	1,607.64	1,084.90
		...	सामाजिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 16	2,013.41	2,261.70
		...	आर्थिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A एवं 16	4,573.46	4,186.90
ऋण तथा अग्रिम वसूली सन्दर्भ वि० सं० 3, 7 एवं 18	17.30	17.08	ऋण तथा अग्रिम भुगतान सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	93.63	347.46
सामान्य सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	सामान्य सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18
सामाजिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	सामाजिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18
आर्थिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	16.54	16.20	आर्थिक सेवाएं सन्दर्भ वि० सं० 4A, 7 एवं 18	92.35	347.21
अन्य (सरकारी कर्मचारी एवं विविध) सन्दर्भ वि० सं० 7	0.76	0.88	अन्य (सरकारी कर्मचारी एवं विविध) सन्दर्भ वि० सं० 7	1.28	0.25
लोक ऋण की प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 3, 6 एवं 17	9,431.07	7,917.99	लोक ऋण का पुनर्भुगतान सन्दर्भ वि० सं० 4A, 6 एवं 17	8,474.77	3,830.15
आन्तरिक ऋण ⁵ (बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ़. आदि) सन्दर्भ वि० सं० 3, 6 एवं 17	8,211.85	4,232.22	आन्तरिक ऋण (बाजार ऋण, एन.एस.एस.एफ़. आदि) सन्दर्भ वि० सं० 4A, 6 एवं 17	8,412.58	3,774.61
भारत सरकार से ऋण सन्दर्भ वि० सं० 3, 6 एवं 17	1,219.22	3,685.77	भारत सरकार से ऋण सन्दर्भ वि० सं० 4A, 6 एवं 17	62.19	55.54
	आकस्मिकता निधि को विनियोजन सन्दर्भ वि० सं० 21
शुद्ध अंतर्राज्यीय समायोजन लेखा	शुद्ध अंतर्राज्यीय समायोजन लेखा
समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 3	58,542.90	50,992.06	समेकित निधि से कुल व्यय सन्दर्भ वि० सं० 4	60,535.64	50,640.06
समेकित निधि में घाटा	1,992.74	...	समेकित निधि में आधिक्य		352.00

⁵ राष्ट्रीय अल्प बचत निधि में 1 अप्रैल 2022 को ₹ 6,753.88 करोड़ की राशि शेष थी जो कि 31 मार्च 2023 को घटकर ₹ 5,312.70 करोड़ रह गई।

2. प्राप्तियों एवं भुगतानों का विवरण					
	प्राप्तियाँ			भुगतान	
	2022-23	2021-22		2022-23	2021-22
					(₹ करोड़ में)
भाग - II आकस्मिकता निधि					
आकस्मिकता निधि सन्दर्भ वि० सं० 21	268.66	435.85	आकस्मिकता निधि सन्दर्भ वि० सं० 21	178.50	211.96
भाग - III लोक लेखा⁶					
अल्प बचतें सन्दर्भ वि० सं० 21	1,886.73	1,904.74	अल्प बचतें सन्दर्भ वि० सं० 21	1,763.78	1,570.86
संचय एवं ऋण शोधन निधियाँ सन्दर्भ वि० सं० 21	1,483.87	1,241.32	संचय एवं ऋण शोधन निधियाँ सन्दर्भ वि० सं० 21	1,422.24	1,708.89
जमायें सन्दर्भ वि० सं० 21	5,386.61	5,261.51	जमायें सन्दर्भ वि० सं० 21	5,042.15	5,942.59
अग्रिम सन्दर्भ वि० सं० 21	अग्रिम सन्दर्भ वि० सं० 21
उच्चत एवं विविध सन्दर्भ वि० सं० 21	96,401.56	90,306.37	उच्चत एवं विविध ⁷ सन्दर्भ वि० सं० 21	95,289.52	90,134.61
प्रेषण सन्दर्भ वि० सं० 21	1.26	1.05	प्रेषण सन्दर्भ वि० सं० 21	(-)15.96	(-)11.24
लोक लेखा की कुल प्राप्तियाँ सन्दर्भ वि० सं० 21	1,05,160.03	98,714.99	लोक लेखा में कुल व्यय सन्दर्भ वि० सं० 21	1,03,501.74	99,345.71
लोक लेखा में घाटा सन्दर्भ वि० सं० 21		630.72	लोक लेखा में आधिक्य सन्दर्भ वि० सं० 21	1,658.29	...
प्रारम्भिक रोकड़ शेष सन्दर्भ वि० सं० 21	112.47	167.30	अंतिम रोकड़ शेष सन्दर्भ वि० सं० 21	(-)131.82	112.47
रोकड़ शेष में वृद्धि		...	रोकड़ शेष में कमी	244.29	54.83

⁶ कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-21 देखिए |

⁷ 'उच्चत एवं विविध' में 'अन्य लेखे' यथा रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष 8673) आदि शामिल हैं | ये 'अन्य लेखे' सम्मिलित होने के कारण अधिक प्रतीत होते हैं | कृपया ब्यौरे के लिए खण्ड-2 में विवरण संख्या-21 देखें |

विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक

रोकड़ प्रवाह विवरण

	(₹ करोड़ में)	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
(क) सामान्य रोकड़ शेष		
1. कोषागारों में रोकड़
2. रिजर्व बैंक में जमा ¹	(-)131.82	112.47
3. पारगमन में प्रेषण- स्थानीय
योग (1 से 3)	(-)131.82	112.47
4. रोकड़ शेष निवेश लेखा में निवेश	653.37	2,037.62
योग (क)	521.55	2,150.09
(ख) अन्य रोकड़ शेष व निवेश		
1. विभागीय अधिकारियों के पास रोकड़ शेष	(-)10.71 ²	(-)10.71 ²
2. आकस्मिक व्यय हेतु विभागीय अधिकारियों के पास स्थाई अग्रिम उद्दिष्ट निधियों से निवेश	(-) 0.81 ²	(-) 0.81 ²
	1,808.62	1,698.62
योग (ख)	1,797.10	1,687.10
योग (क) और (ख)	2,318.65	3,837.19

व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

(क) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य:

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अंतर्गत कोषागारों में रोकड़ तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं अन्य बैंकों के पास जमा एवं पारगमन में प्रेषण सम्मिलित हैं जैसा कि ऊपर दिया गया है | 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष के अंतर्गत शेष {उपरोक्त क (2)} वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के संयुक्त शेषों को चित्रित करता है | समस्त रोकड़ स्थिति की गणना हेतु कोषागारों, विभागों में रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष/आरक्षित निधि आदि में से निवेश को 'रिजर्व बैंक में जमा' में जोड़ा जाता है |

(ख) दैनिक रोकड़ शेष:

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ किए गए अनुबंध के अनुसार राज्य सरकार को बैंक में ₹ 0.16 करोड़ न्यूनतम शेष बनाए रखना होता है | यदि किसी दिन रोकड़ शेष अनुबंध के इस न्यूनतम शेष से कम हो जाता है तो इस कमी को समय समय पर साधारण या विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष से पूरा किया जाता है |

अर्थोपाय अग्रिम / अधिविकर्ष को मंजूर करने के प्रयोजन से दैनिक रोकड़³ शेष की गणना हेतु भारतीय रिजर्व बैंक उस दिन के लिए प्रतिवेदित लेन-देन (भारतीय रिजर्व बैंक काउंटर पर, अंतर्शासकीय लेन-देन तथा एजेंसी बैंक द्वारा प्रस्तुत कोषागार लेन-देन) के साथ 14 दिवसीय कोषागार देयकों की धारिता का मूल्यांकन करता है | इस तरह गणना किये गये रोकड़ शेष में परिपक्व हुए 14 दिवसीय कोषागार देयकों को जोड़ा जाता है तथा न्यूनतम शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषागार देयकों में पुनः निवेश कर दिया जाता है | यदि शुद्ध रोकड़ शेष न्यूनतम रोकड़ शेष या जमा अवशेष से कम होता है और यदि उस दिन कोई भी 14 दिवसीय कोषागार देयक परिपक्व नहीं हो रहा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक 14 दिवसीय कोषागार की धारिता से कटौती करता है और कमी को पूरा कर दिया जाता है | यदि उस दिन 14 दिवसीय कोषागार देयक की धारिता नहीं है, तो राज्य सरकार अर्थोपाय अग्रिम/ विशेष अर्थोपाय अग्रिम/ अधिविकर्ष के लिए आवेदन करती है |

¹ 'रिजर्व बैंक में जमा' शीर्ष के अंतर्गत अवशेष की गणना 16 अप्रैल 2023 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित वित्तीय वर्ष 2022-23 से सम्बंधित अन्तर्शासकीय मौद्रिक व्यवस्थापन को लेखे में शामिल करने के उपरांत की गयी है |

भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' के अन्तर्गत लेखे में दर्शित ₹ 131.82 करोड़ (जमा) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 0.85 करोड़ (जमा) के आकड़ों में ₹ 130.97 करोड़ (जमा) का अंतर है | अंतर मिलान के अधीन है |

30.06.2023 को लेखों में सम्मिलित 'रिजर्व बैंक में जमा' एवं रिजर्व बैंक द्वारा सूचित आंकड़ों में ₹ 130.96 करोड़ (जमा) का अंतर है |

² इन शीर्षों के तहत ये शेष राशि क्रेडिट हैं, इसलिए आंकड़े ऋणात्मक दिखाई देते हैं |

³ रोकड़ शेष 'भारतीय रिजर्व बैंक में जमा' 31 मार्च को वर्ष का अंतिम रोकड़ शेष है परन्तु जिसका आंकलन 16 अप्रैल को किया गया तथा यह 31 मार्च का साधारण दैनिक रोकड़ शेष नहीं है |

विवरण संख्या 2 का अनुलग्नक

रोकड़ प्रवाह विवरण

(ग) अर्थोपाय अग्रिम:

राज्य सरकार के सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा दिनांक 1 अप्रैल 2022 से ₹ 602.00 करोड़ थी | बैंक ने सरकार की प्रत्याभूतियाँ बंधक करने के आधार पर विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्रदान करने के लिए भी सहमति प्रदान की है | बैंक विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमा समय-समय पर पुनरीक्षित करता है | वर्ष 2022-23 के दौरान विशेष अर्थोपाय अग्रिम की सीमा ₹ 183.85 करोड़ से ₹ 471.14 करोड़ के बीच परिवर्तित होती रही | वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 4,395.47 करोड़ के अर्थोपाय अग्रिम लिए एवं ₹ 4,395.47 करोड़ वापस किये | 31 मार्च 2023 को कोई भी अर्थोपाय अग्रिम वापसी हेतु शेष नहीं रहा |

वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार ने जिस सीमा तक रिजर्व बैंक में न्यूनतम रोकड़ शेष बनाये रखा, नीचे दिया गया है:

- | | | |
|-------|--|-------|
| (i) | दिनों की संख्या जिनमें बिना कोई अग्रिम प्राप्त किये न्यूनतम शेष बनाए रखा गया | 326 |
| (ii) | दिनों की संख्या जिनमें सामान्य अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष बनाए रखा गया | शून्य |
| (iii) | दिनों की संख्या जिनमें विशेष अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के पश्चात न्यूनतम शेष बनाए रखा गया | 36 |
| (iv) | दिनों की संख्या जिनमें उपरोक्त अग्रिमों को प्राप्त करने के पश्चात भी न्यूनतम शेष में कमी रही तथा कोई अधिविकर्ष प्राप्त नहीं किया गया | शून्य |
| (v) | दिनों की संख्या जिनमें अधिविकर्ष प्राप्त किया गया | 03 |

- (घ) ब्याज की बैंक दर 1 अप्रैल 2022 से 03 मई 2022 तक 4.25 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जिसे 04 मई 2022 से संशोधित कर 4.65 प्रतिशत प्रति वर्ष, 08 जून 2022 से 5.15 प्रतिशत प्रति वर्ष, 05 अगस्त 2022 से 5.65 प्रतिशत प्रति वर्ष, 30 सितंबर 2022 से 6.15 प्रतिशत प्रतिवर्ष, 07 दिसम्बर 2022 से 6.50 प्रतिशत प्रतिवर्ष और 08 फरवरी 2023 से 6.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया गया।**

तरलता समायोजन सुविधा के तहत रेपो दर 1 अप्रैल 2022 से 03 मई 2022 तक 4.00 प्रतिशत प्रति वर्ष थी जिसे 04 मई 2022 से संशोधित कर 4.40 प्रतिशत प्रति वर्ष, 08 जून 2022 से 4.90 प्रतिशत प्रति वर्ष, 05 अगस्त 2022 से 5.40 प्रतिशत प्रति वर्ष, 30 सितंबर 2022 से 5.90 प्रतिशत प्रति वर्ष, 07 दिसंबर 2022 से 6.25 फीसदी सालाना और 08 फरवरी 2023 से 6.50 फीसदी सालाना कर दिया गया।

वर्ष 2022-23 के दौरान अग्रिमों, अधिविकर्षों तथा कमियों पर ब्याज की दर (प्रतिशत प्रति वर्ष) निम्नवत थी :

अवधि	विशेष अर्थोपाय अग्रिम	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम		कमी	अधिविकर्ष	
		पहले (90 दिनों तक)	(90 दिनों से आगे)		सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत तक	सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा के 100 प्रतिशत से आगे/अधिक
1 अप्रैल 2022 से 03 मई 2022 तक	4.00	4.00	5.00	शून्य	6.00	9.00
04 मई 2022 से 07 जून 2022 तक	4.40	4.40	5.40	शून्य	6.40	9.40
08 जून 2022 से 04 अगस्त 2022 तक	4.90	4.90	5.90	शून्य	6.90	9.90
05 अगस्त 2022 से 29 सितंबर 2022 तक	5.40	5.40	6.40	शून्य	7.40	10.40
30 सितंबर 2022 से 06 दिसंबर 2022 तक	5.90	5.90	6.90	शून्य	7.90	10.90
07 दिसंबर 2022 से 07 फरवरी 2023 तक	6.25	6.25	7.25	शून्य	8.25	11.25
08 फरवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक	6.50	6.50	7.50	शून्य	8.50	11.50

(ङ) कोषागार देयक:

दिनांक 1 अप्रैल 2022 से दिनांक 31 मार्च 2023 के दौरान ₹ 44,343.10 करोड़ राशि के कोषागार देयक क्रय किए गए एवं ₹ 45,727.35 करोड़ की राशि के कोषागार देयक विक्रय किये गए जिससे शीर्ष के अंतर्गत ₹ 653.37 करोड़ शेष रहा |

(च) सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से किया गया निवेश:

दिनांक 31 मार्च 2023 तक सामान्य रोकड़ शेष तथा उद्दिष्ट निधियों से किया गया निवेश निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	रोकड़ शेष निवेश लेखा	उद्दिष्ट निधि	योग
1	भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	...	1,808.62
2	भारत सरकार के कोषागार देयक	653.37	...
			1,808.62
			653.37

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

I- कर तथा करेत्तर राजस्व विवरण	वास्तविक आँकड़े	
	2022-23	2021-22
	(₹ करोड़ में)	
क. कर राजस्व		
क. 1 स्वकर राजस्व	17,102.53	14,176.12
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी.)	7,340.64	5,973.36
भू -राजस्व	64.98	39.88
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,987.28	1,488.04
राज्य उत्पाद शुल्क	3,525.60	3,258.09
बिक्री व्यापार आदि पर कर	2,555.23	2,301.64
वाहन कर	1,211.55	889.02
अन्य	417.25	226.09
क. 2 करों का शुद्ध समनुदेशित भाग	10,617.01	9,906.25
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	3,000.03	2,829.84
निगम कर	3,559.58	2,985.75
आय पर निगम कर से भिन्न कर	3,474.95	2,938.64
आय और व्यय पर अन्य कर	...	0.02
संपत्ति कर	...	0.62
सीमा शुल्क	417.39	676.32
संघ उत्पाद शुल्क	130.97	337.81
सेवा कर	16.62	127.78
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	17.47	9.47
योग-क	27,719.54	24,082.37
ख. करेत्तर राजस्व		
पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के सम्बंध में अंशदान और वसूली	1,711.37	61.57
ब्याज प्राप्तियाँ	759.04	403.55
वानिकी तथा वन्य जीव	474.93	511.55
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	472.13	575.01
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	227.19	268.57
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	188.50	177.85
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	110.23	85.93
बिजली	72.46	111.23
लोक निर्माण कार्य	51.01	46.27
शहरी विकास	30.99	190.98
पुलिस	29.72	43.55
विविध सामान्य सेवाएँ	28.89	15.94
सहकारिता	28.74	18.27
परिवार कल्याण	27.03	0.09
लाभांश तथा लाभ	25.07	35.05
अन्य सामाजिक सेवाएँ	19.46	12.83
श्रम तथा रोजगार	16.27	7.44
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	14.68	12.05
अन्य कृषि कार्यक्रम	14.02	74.05

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)

I- कर तथा करेत्तर राजस्व	वास्तविक आँकड़े	
	2022-23	2021-22
विवरण	(₹ करोड़ में)	
ख. करेत्तर राजस्व		
मध्यम सिंचाई	10.32	7.29
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	9.67	7.75
आवास	8.10	7.72
जल आपूर्ति और स्वच्छता	7.55	0.16
फसल कृषिकर्म	7.03	6.81
पर्यटन	3.41	1.60
दुग्ध विकास	3.17	1.81
सड़क परिवहन	2.98	2.25
पशु पालन	2.95	2.47
लघु सिंचाई	2.69	2.91
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	1.24	3.30
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1.06	31.57
जेल	1.05	1.14
सिविल आपूर्ति	0.99	0.75
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	0.92	...
ग्राम तथा लघु उद्योग	0.69	0.75
सूचना तथा प्रचार	0.38	1.19
मुख्य सिंचाई	0.29	0.73
लोक सेवा आयोग	0.29	23.83
मछली पालन	0.03	0.03
नागरिक उद्‌डयन	...	0.01
उद्योग	...	0.01
अन्य विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम	...	0.04
खाद्य भण्डारण तथा भण्डारागारण	...	0.06
	योग-ख	4,366.55
II- भारत सरकार से अनुदान		
ग. सहायक अनुदान		
केन्द्रीय सरकार से सहायक अनुदान		
केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं	5,968.47	5,218.49
वित्त आयोग अनुदान	8,501.23	9,424.09
राज्यों/विधान मंडल वाले संघ शासित प्रदेशों को अन्य हस्तांतरण/अनुदान	2,526.91	1,576.08
	योग- ग	16,996.61
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ (क+ख+ग)	49,082.70
		43,056.99

3. प्राप्तियों का विवरण (समेकित निधि)		
III- पूँजीगत, लोक ऋण एवं अन्य प्राप्तियाँ		
विवरण	वास्तविक आँकड़े	
	2022-23	2021-22
	(₹ करोड़ में)	
घ. पूँजीगत प्राप्तियाँ		
अन्य	11.83	...
योग-घ	11.83	...
ड. लोक ऋण प्राप्तियाँ		
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	8,211.85	4,232.22
बाजार ऋण	3,200.00	3,200.00
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	4,395.47	444.84
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	616.35	587.38
अन्य ऋण	0.03	...
केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	1,219.22	3,685.77
अन्य ऋण	1,219.22	3,685.77
योग ड.	9,431.07	7,917.99
च. राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम (वसूलियाँ)¹	17.30	17.08
योग च	17.30	17.08
योग- समेकित निधि की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ+ड+च)	58,542.90	50,992.06

¹विस्तृत विवरण के लिए खण्ड I के विवरण संख्या 7 एवं खण्ड II के विवरण संख्या 18 को देखें।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)				
अ. क्रियाकलापवार व्यय				
विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
क सामान्य सेवाएँ				
क.1 राज्य के अंग				
संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल	69.39	69.39
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक/राज्यपाल	12.96	12.96
मंत्रि परिषद्	38.15	38.15
न्याय प्रशासन	308.80	308.80
निर्वाचन	82.03	82.03
क.2 राजकोषीय सेवाएँ				
भू - राजस्व	223.22	223.22
स्टाम्प एवं पंजीकरण	32.00	32.00
राज्य उत्पादन शुल्क	32.48	32.48
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	20.32	20.32
वाहन कर	0.90	0.90
राज्य वस्तु और सेवा कर के तहत वसूली प्रभार	119.63	119.63
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	2.02	2.02
अन्य राजकोषीय सेवाएँ	4.42	16.64	...	21.06
ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोग	110.00	110.00
ब्याज अदायगियाँ	5,103.63	5,103.63
क.3 प्रशासनिक सेवाएँ				
लोक सेवा आयोग	59.97	59.97
सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	270.62	270.62
जिला प्रशासन	189.85	189.85
कोषागार तथा लेखा प्रशासन	89.92	89.92
पुलिस	2,113.46	36.06	...	2,149.52
जेलें	72.55	72.55
लेखन सामग्री तथा मुद्रण	13.31	13.31
लोक निर्माण कार्य	481.43	1,554.94	...	2,036.37
सतर्कता	18.02	18.02
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	240.46	240.46
क.4 पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएँ				
पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	7,180.52	7,180.52
विविध सामान्य सेवाएँ	(-)1.23 ¹	(-)1.23
योग क -सामान्य सेवाएँ	16,888.82	1,607.64	...	18,496.46

¹ ऋणात्मक राशियाँ व्यय से प्राप्तियों के आधिक्य को दर्शाती हैं।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)				
अ. क्रियाकलापवार व्यय				
विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ख सामाजिक सेवाएँ				
ख.1 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति				
सामान्य शिक्षा	9,018.39	303.14	...	9,321.53
तकनीकी शिक्षा	217.12	30.84	...	247.96
खेल कूद तथा युवा सेवाएँ	100.63	139.57	...	240.20
कला तथा संस्कृति	17.94	3.34	...	21.28
ख.2 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण				
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,548.04	299.37	...	3,847.41
परिवार कल्याण	145.10	145.10
ख.3 जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास				
जलापूर्ति तथा सफाई	608.75	550.20	...	1,158.95
आवास	9.13	66.37	...	75.50
शहरी विकास	302.77	511.90	...	814.67
ख.4 सूचना एवं प्रसारण				
सूचना तथा प्रसार	167.85	167.85
ख.5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण				
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	176.04	57.00	...	233.04
ख.6 श्रम एवं श्रम कल्याण				
श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	178.68	178.68
ख.7 समाज कल्याण एवं पोषण				
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,615.42	43.57	...	2,658.99
प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	1,049.96	1,049.96
ख.8 अन्य				
अन्य-सामाजिक सेवाएँ	...	8.11	...	8.11
सचिवालय-सामाजिक सेवाएँ	0.30	0.30
योग ख -सामाजिक सेवाएँ				
	18,156.14	2,013.41	...	20,169.55
ग. आर्थिक सेवाएँ				
ग.1 कृषि और संबंधित गतिविधियाँ				
फसल कृषि कर्म	1,203.70	27.02	1.59	1,232.31
पशु पालन	303.84	17.58	...	321.42
डेयरी विकास	93.54	93.54
मत्स्य पालन	21.38	8.97	...	30.35

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)				
अ. क्रियाकलापवार व्यय				
विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
				(₹ करोड़ में)
ग. आर्थिक सेवाएँ				
वानिकी तथा वन्य जीवन	775.67	56.59	...	832.26
खाद्य भण्डारण तथा भण्डारगारण	143.60	285.32	...	428.92
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	236.30	236.30
सहकारिता	122.90	...	73.00	195.90
ग.2 ग्रामीण विकास				
ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	59.51	59.51
ग्रामीण रोजगार	530.41	530.41
भूमि सुधार	12.98	12.98
अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1,581.44	1,917.54	...	3,498.98
ग.3 सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण				
मुख्य सिंचाई	285.77	136.90	...	422.67
मध्यम सिंचाई	157.41	5.85	...	163.26
लघु सिंचाई	39.68	53.56	...	93.24
बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास	17.80	178.28	...	196.08
ग.4 ऊर्जा				
बिजली	0.49	151.49	...	151.98
नई और नवीकरणीय ऊर्जा	16.47	16.47
ग.5 उद्योग एवं खनिज				
ग्रामीण तथा लघु उद्योग	229.98	17.91	...	247.89
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	18.21	18.21
दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हेतु ऋण	...	30.47	...	30.47
उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	...	72.02	...	72.02
ग.6 परिवहन				
नगर विमानन	20.10	44.04	...	64.14
सड़क तथा सेतु	419.11	1,298.18	...	1,717.29
सड़क परिवहन	133.11	78.85	17.76	229.72
ग.7 विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण				
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	64.21	64.21
पारिस्थितिकी और पर्यावरण	1.41	1.41
ग.8 सामान्य आर्थिक सेवाएँ				
सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	12.16	12.16
पर्यटन	123.02	192.88	...	315.90

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)				
अ. क्रियाकलापवार व्यय				
विवरण	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
(₹ करोड़ में)				
ग. आर्थिक सेवाएँ				
जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	25.09	25.09
सिविल आपूर्तियाँ	31.52	31.52
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	6.31	6.31
योग ग-आर्थिक सेवाएँ	6,687.11	4,573.45	92.35	11,352.91
घ. ऋण, सहायता अनुदान तथा अंशदान				
स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	2,040.66	2,040.66
ड. सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण				
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	0.93	0.93
विविध ऋण	0.35	0.35
च. लोक ऋण				
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	...	8,412.58	...	8,412.58
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	...	62.19	...	62.19
कुल-समेकित निधि व्यय	43,772.73	16,669.28²	93.63	60,535.64

² सम्मिलित है-

- (i) पूँजीगत व्यय ₹ 8,194.51 करोड़ |
- (ii) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण ₹ 8,412.58 करोड़ |
- (iii) केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम ₹ 62.19 करोड़ |

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. प्रकृतिवार व्यय				
वस्तु शीर्ष	व्यय के मद	2022-23		
		राजस्व	पूँजीगत	योग
(₹ करोड़ में)				
01	वेतन	9,327.50	...	9,327.50
53	वृहद निर्माण	14.71	7,052.11	7,066.82
12	पेंशन/पारितोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	6,845.68	...	6,845.68
62	ब्याज/लाभांश	5,103.63	...	5,103.63
56	सहायक अनुदान (सामान्य गैर वेतन)	4,747.80	...	4,747.80
42	अन्य विभागीय व्यय	3,861.44	...	3,861.44
03	मंहगाई भत्ता	3,426.66	...	3,426.66
57	सामाजिक सुरक्षा (पेंशन)	1,566.23	...	1,566.23
69	समनुदेशन	1,491.55	...	1,491.55
05	वेतन, भत्ते एवं अन्य व्यय के लिए सहायक अनुदान	1,391.96	...	1,391.96
08	पारिश्रमिक	975.62	...	975.62
06	अन्य भत्ते	761.20	...	761.20
51	अनुरक्षण	735.74	...	735.74
14	केंद्र प्रायोजित योजना का एकल नोडल एजेंसी को स्थानांतरण	526.52	...	526.52
25	उपयोगिता बिलों का भुगतान	460.81	...	460.81
55	पूँजीगत परिसंपत्तियों का सर्जन हेतु अनुदान	...	450.47	450.47
44	सामग्री एवं सम्पूर्ति	95.80	295.80	391.60
13	अर्जित अवकाश नकदीकरण	330.45	...	330.45
02	मजदूरी	290.82	...	290.82
50	उपादान	289.20	...	289.20
43	औषधी तथा रसायन	232.98	...	232.98
54	भूमि क्रय	0.52	223.17	223.69
46	पौधारोपण	122.00	42.40	164.40
24	विज्ञापन एवं प्रचार पर व्यय	147.03	...	147.03
27	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	142.29	...	142.29
60	निवेश	...	131.84	131.84
52	लघु कार्य	127.02	...	127.02
40	मशीन उपकरण सज्जा एवं संयंत्र	126.45	...	126.45
29	गाड़ियों का संचालन अनुरक्षण एवं ईंधन की खरीद आदि	105.84	...	105.84
04	यात्रा व्यय	94.70	...	94.70

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. प्रकृतिवार व्यय						
2021-22			2020-21			
राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग	
(₹ करोड़ में)						
9,235.96	...	9,235.96	9,397.56	...	9,397.56	
19.64	5,764.73	5,784.37	14.22	5,434.36	5,448.58	
6,069.76	...	6,069.76	5,864.66	...	5,864.66	
4,938.83	...	4,938.83	4,773.07	...	4,773.07	
3,286.56	25.57	3,312.13	3,329.04	80.30	3,409.34	
4,697.93	64.20	4,762.13	3,732.10	57.06	3,789.16	
2,431.79	...	2,431.79	1,595.29	...	1,595.29	
1,050.80	...	1,050.80	1,036.87	...	1,036.87	
1,390.23	...	1,390.23	1,932.20	...	1,932.20	
1,181.65	...	1,181.65	1,179.53	...	1,179.53	
912.45	...	912.45	769.42	...	769.42	
749.59	...	749.59	762.30	...	762.30	
643.66	...	643.66	525.56	4.37	529.93	
...	
344.87	...	344.87	290.58	...	290.58	
...	706.10	706.10	(-951.10) ¹	519.47	(-431.63)	
263.26	539.02	802.28	206.35	121.89	328.24	
286.08	...	286.08	279.85	...	279.85	
205.80	...	205.80	189.07	...	189.07	
145.08	...	145.08	138.63	...	138.63	
177.77	...	177.77	155.70	...	155.70	
0.55	306.67	307.22	1.47	196.00	197.47	
13.98	34.84	48.82	13.98	33.02	47.00	
356.24	...	356.24	88.79	...	88.79	
102.33	...	102.33	89.82	...	89.82	
...	103.15	103.15	0.08	146.39	146.47	
57.03	...	57.03	54.97	...	54.97	
90.85	4.38	95.23	79.04	4.75	83.79	
84.61	...	84.61	66.53	...	66.53	
86.98	...	86.98	78.38	...	78.38	

¹ ऋणात्मक आंकड़े एसडीआरएफ हेतु व्यय का लोक लेखे में हस्तांतरण प्रदर्शित करते हैं।

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

		व. प्रकृतिवार व्यय		
वस्तु शीर्ष	व्यय के मद	2022-23		
		राजस्व	पूँजीगत	योग
(₹ करोड़ में)				
61	ऋण
22	सामान्य कार्यालय व्यय	70.45	...	70.45
07	मानदेय	58.15	...	58.15
45	छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन	57.22	...	57.22
26	कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं बाह्य उपकरणों की खरीद /अनुरक्षण	45.82	...	45.82
20	लेखन सामग्री एवं छपाई	38.91	...	38.91
10	प्रशिक्षण व्यय	35.16	...	35.16
41	भोजन व्यय	35.15	...	35.15
21	फर्नीचर, जुड़नार एवं उपकरण	34.09	...	34.09
31	गुप्त सेवा व्यय	27.39	...	27.39
28	कार्यालय प्रयोगार्थ वाहन क्रय	26.47	...	26.47
67	धनवापसी	23.77	(-) ⁴ 1.28	22.49
66	अंतर-लेखा उच्चंत	22.08	...	22.08
68	बीमा पालिसी एवं प्रीमियम	18.39	...	18.39
09	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	18.10	...	18.10
23	किराया, उपशुल्क एवं स्वामित्व कर	16.97	...	16.97
30	आतिथ्य व्यय	9.15	...	9.15
11	अनुमन्यता सम्बन्धी व्यय	8.20	...	8.20
15	सीएसएस में भुगतान किए गए वेतन की प्रतिपूर्ति	(-)114.89	...	(-)114.89
कुल		43,772.73	8,194.51	51,967.24

⁴ऋणात्मक आंकड़े व्यय की वसूली को निरूपित करते हैं |

4. व्यय का विवरण (समेकित निधि)

ब. प्रकृतिवार व्यय						
2021-22			2020-21			
राजस्व	पूँजीगत	योग	राजस्व	पूँजीगत	योग	
(₹ करोड़ में)						
...	34.00	34.00
90.08	...	90.08	43.29	...	43.29	...
102.69	...	102.69	58.81	...	58.81	...
53.35	...	53.35	114.51	...	114.51	...
45.47	...	45.47	33.39	...	33.39	...
36.35	...	36.35	32.27	...	32.27	...
26.86	0.07	26.93	26.76	0.21	26.97	...
24.30	...	24.30	15.69	...	15.69	...
38.61	...	38.61	34.35	0.05	34.40	...
13.43	(-49.17) ²	(-35.74)	14.74	(-57.00) ³	(-42.26)	...
14.51	...	14.51	11.31	...	11.31	...
38.18	...	38.18	54.30	...	54.30	...
(-456.09) ⁵	...	(-456.09)	850.00	...	850.00	...
2.63	...	2.63	2.47	...	2.47	...
35.76	...	35.76	76.30	...	76.30	...
24.91	...	24.91	18.48	...	18.48	...
6.65	(-0.06) ²	6.59	4.15	(-2.65) ³	1.50	...
6.98	...	6.98	6.25	...	6.25	...
...
38,928.95	7,533.50	46,462.45	37,091.03	6,538.21	43,629.24	...

² ऋणात्मक आंकड़े व्यय की वसूली को निरूपित करते हैं |

³ ऋणात्मक आंकड़े प्राप्ति का व्यय पर आधिक्य को निरूपित करते हैं |

⁵ ऋणात्मक अवशेष दर्शाता है कि राज्य आपदा राहत निधि हेतु किये गये व्यय को लोक लेखे में स्थानान्तरित किया गया है |

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
क- सामान्य सेवाएँ-						
4047-	अन्य राजकोषीय सेवाएँ	16.64	16.64	...
4055-	पुलिस	34.60	501.80	36.06	537.86	(+)4.22
4058-	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	...	6.81	...	6.81	...
4059-	लोक निर्माण कार्य	1,050.30	4,930.79	1,554.94	6,485.74	(+)48.05
योग-क- सामान्य सेवाएँ		1,084.90	5,439.41	1,607.64	7,047.05	(+)48.18
ख- सामाजिक सेवाएँ-						
(क)- शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति-						
4202-	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	361.46	4,051.89	476.89	4,528.78	(+)31.93
योग-(क) शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति		361.46	4,051.89	476.89	4,528.78	(+)31.93
(ख)- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण-						
4210-	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	313.19	2,361.44	299.37	2,660.82	(-)4.41
4211-	परिवार कल्याण	...	60.60	...	60.60	...
योग-(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		313.19	2,422.04	299.37	2,721.42	(-)4.41
(ग)- जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास -						
4215-	जल आपूर्ति तथा सफाई	1,059.87	3,966.70	550.20	4,516.90	(-)48.09
4216-	आवास	73.79	598.37	66.37	664.74	(-)10.06
4217-	शहरी विकास	385.89	2,767.36	511.90	3,279.25	(+)32.65
योग-(ग) जलापूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास		1,519.55	7,332.43	1,128.47	8,460.89	(-)25.74
(ड.)- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-						
4225-	अनुसूचित जातियों/जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	60.02	732.91	57.00	789.91	(-)5.03
योग-(ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		60.02	732.91	57.00	789.91	(-)5.03
(छ)- समाज कल्याण और पोषण-						
4235-	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	5.73	234.13	43.57	277.70	(+)660.38
योग-(छ) समाज कल्याण और पोषण		5.73	234.13	43.57	277.70	(+)660.38

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ख- सामाजिक सेवाएँ-						
(ज)- अन्य सामाजिक सेवाएँ-						
4250-	अन्य सामाजिक सेवाएँ	1.75	189.86	8.11	197.97	(+)363.43
योग-(ज) अन्य सामाजिक सेवाएँ		1.75	189.86	8.11	197.97	(+)363.43
योग-ख- सामाजिक सेवाएँ		2,261.70	14,963.26	2,013.41	16,976.67	(-)10.98
ग- आर्थिक सेवाएँ-						
(क)- कृषि और संबंधित गतिविधियाँ -						
4401-	फसल कृषि कर्म	2.60	133.14	27.02	160.16	(+)943.23
4403-	पशुपालन	6.84	101.43	17.58	119.01	(+)157.02
4404-	दुध विकास	...	21.18	...	21.18	...
4405-	मत्स्य पालन	1.30	33.76	8.97	42.73	(+)590.00
4406-	वानिकी एवं वन्य जीवन	49.28	735.98	56.59	792.57	(+)14.83
4408-	खाद्य भण्डारण तथा भण्डारगारण	493.97	4,969.64	285.32	5,254.97	(-)42.24
4425-	सहकारिता	(-)0.06 ¹	14.00	...	14.00	...
योग-(क) कृषि और संबंधित गतिविधियाँ		553.93	6,009.13	395.49	6,404.62	(-)28.60
(ख)- ग्रामीण विकास -						
4515-	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	1,706.32	11,571.75	1,917.54	13,489.30	(+)12.38
योग-(ख) ग्रामीण विकास		1,706.32	11,571.75	1,917.54	13,489.30	(+)12.38
(ग)- विशेष क्षेत्र कार्यक्रम -						
4551-	पहाड़ी क्षेत्र	...	2,443.05	...	2,443.05	...
योग-(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		...	2,443.05	...	2,443.05	...
(घ)- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-						
4700-	मुख्य सिंचाई	118.59	3,326.50	136.90	3,463.40	(+)15.44
4701-	मध्यम सिंचाई	10.87	206.93	5.85	212.78	(-)46.18

¹ क्रणात्मक आंकड़े प्राप्तियों व्यय पर आधिक्य को निरूपित करते हैं |

5. प्रगामी पूँजीगत व्यय का विवरण

मुख्य शीर्ष	विवरण	2021-22 के दौरान व्यय	2021-22 के अंत तक प्रगामी व्यय	2022-23 के दौरान व्यय	2022-23 के अंत तक प्रगामी व्यय	प्रतिशत वृद्धि(+)/ कमी (-)
(₹ करोड़ में)						
ग- आर्थिक सेवाएँ-						
(घ)- सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-						
4702-	लघु सिंचाई	41.92	1,912.53	53.56	1,966.09	(+)27.77
4711-	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ	97.51	1,619.77	178.28	1,798.05	(+)82.83
योग-(घ) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण-		268.89	7,065.73	374.59	7,440.32	(+)39.31
(ड.)- ऊर्जा						
4801-	विद्युत परियोजनाएँ	100.90	3,520.53	151.49	3,672.02	(+)50.14
योग-(ड.) ऊर्जा		100.90	3,520.53	151.49	3,672.02	(+)50.14
(च)- उद्योग एवं खनिज-						
4851-	ग्राम तथा लघु उद्योग	3.28	147.72	17.90	165.62	(+)445.73
4859-	दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग	10.68	291.74	30.47	322.21	(+)185.30
4885-	उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय	...	311.31	72.02	383.33	...
योग-(च) उद्योग एवं खनिज		13.96	750.77	120.39	871.16	(+)762.39
(छ)- परिवहन -						
5053-	नगर विमानन	12.98	383.36	44.04	427.40	(+)239.29
5054-	सड़क तथा सेतु	1,379.36	18,024.27	1,298.18	19,322.45	(-)5.88
5055-	सड़क परिवहन	39.34	506.41	78.85	585.25	(+)100.43
योग-(छ) परिवहन		1,431.68	18,914.04	1,421.07	20,335.10	(-)0.74
(ज)- सामान्य आर्थिक सेवाएँ-						
5452-	पर्यटन	111.22	1,181.31	192.88	1,374.19	(+)73.42
योग-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएँ-		111.22	1,181.31	192.88	1,374.19	(+)73.42
योग-ग- आर्थिक सेवाएँ-		4,186.90	51,456.31	4,573.45	56,029.76	(+)9.23
कुल योग-		7,533.50	71,858.97	8,194.51	80,053.48	(+) 8.77

वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के अंत तक सरकार का विभिन्न संस्थानों में पूँजीगत और ऋण पत्रों के अंतर्गत कुल निवेश क्रमशः ₹ 3,683.54 करोड़, ₹ 3,818.94 करोड़ एवं ₹ 4,043.90 करोड़ रहा एवं वर्ष 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 के दौरान उस पर लाभांश के रूप में क्रमशः ₹ 40.02 करोड़, ₹ 35.05 करोड़ एवं ₹ 25.07 करोड़ की प्राप्ति हुई।

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

(i) लोक ऋण एवं अन्य ब्याज सहित देयताओं का विवरण

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल	वर्ष के	वर्ष के	31 मार्च	शुद्ध वृद्धि (+)		कुल देयताओं का प्रतिशत
	2022	दौरान	दौरान	2023	/कमी (-)		
को शेष	को शेष	प्राप्तियाँ	पुनर्भुगतान	को शेष	राशि	प्रतिशत	
(करोड़ ₹ में)							
क-लोक ऋण							
6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	53,759.16	8,211.85	8,412.58	53,558.43	(-)200.73	(-)0.37	(+)68.22
बाजार ऋण	43,460.04	3,200.00	1,750.01	44,910.02	1,449.98	(+)3.34	(+)57.20
अनुबंधपत्र/ प्रतिज्ञापत्र	0.77	0.77
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय-अग्रिम	...	4,395.47	4,395.47
केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूति	6,753.87	...	1,441.17	5,312.70	(-)1,441.17	(-)21.34	(+)6.77
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	3,544.48	616.35	825.93	3,334.90	(-)209.58	(-)5.91	(+)4.25
अन्य ऋण	...	0.03	...	0.03	0.03
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	7,443.32	1,219.22	62.19	8,600.36	1,157.04	(+)15.54	(+)10.95
आयोजनेत्तर ऋण	2.23	...	0.43	1.80	(-)0.43	(-)19.28	...
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत स्कीमों हेतु ऋण	428.72	...	51.36	377.36	(-)51.36	(-)11.98	(+)0.48
1984-85 से पूर्व के ऋण	0.53	0.53
विधानमंडल सहित केंद्र शासित प्रदेश/राज्य योजनाओं हेतु अन्य ऋण	7,011.84	1,219.22	10.39	8,220.67	1,208.83	(+)17.24	(+)10.47
योग-लोक ऋण	61,202.49	9,431.07	8,474.77	62,158.79	956.30	(+)1.56	(+)79.17

6. उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण

(i) लोक ऋण एवं अन्य ब्याज सहित देयताओं का विवरण

उधार का स्वरूप	1 अप्रैल	वर्ष के	वर्ष के	31 मार्च	शुद्ध वृद्धि (+) /कमी (-)		कुल देयताओं का प्रतिशत
	2022	दौरान	दौरान	2023	राशि	प्रतिशत	
	को शेष	प्राप्तियाँ	पुनर्भुगतान	को शेष			
							(करोड़ ₹ में)
ख-अन्य देयताएँ							
लोक लेखा							
अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ इत्यादि	9,330.62	1,886.73	1,763.77	9,453.58	122.96	(+)1.32	(+)12.04
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ	2,875.88	1,370.28	1,312.24	2,933.92	58.04	(+)2.02	(+)3.74
ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ	78.51	113.59	110.00	82.10	3.59	(+)4.57	(+)0.10
ब्याज सहित जमा	453.54	1,580.03	1,592.82	440.75	(-)12.79	(-)2.82	(+)0.56
	5,302.45			5,302.45			
ब्याज रहित जमा	3,082.65	3,806.58	3,449.33	3,439.91	357.26	(+)11.59	(+)4.38
	3,467.85			3,467.85			
योग-अन्य देयताएँ-	15,821.21	8,757.21	8,228.17	16,350.25	529.04	(+)3.34	(+)20.83
	8,770.30			8,770.30			
योग-लोक ऋण एवं अन्य देयताएँ-	77,023.70	18,188.28	16,702.94	78,509.04	1,485.34	(+)1.93	(+)100.00
	8,770.30			8,770.30			

इस विवरण में बोल्ड बैलेंस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच आवंटित शेष राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

6 - उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

1- ऋण परिहार संबंधी व्यवस्था-

उत्तराखण्ड सरकार ने खुले बाजारों से लिए गये ऋणों के परिहार हेतु और अवशेष दायित्वों के परिहार हेतु एक 'समेकित ऋण शोधन निधि' की स्थापना की है | इस निधि को राजस्व (समेकित निधि) से अंशदान एवं निधि से किये गये निवेश से प्राप्त ब्याज द्वारा पोषित किया जाता है| सरकार इस निधि में पिछले वर्ष के अवशेष दायित्वों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर योगदान करेगी और करती रहेगी | इस निधि का उपयोग सरकार के अवशेष दायित्वों के परिहार हेतु किया जाना होता है| इस निधि का उपयोग सरकार के अवशेष दायित्वों के परिहार के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा | 31 मार्च 2023 को कुल अवशेष दायित्व ₹ 78,509.04 करोड़ थे |

31 मार्च 2023 को 'समेकित ऋण शोधन निधि' का कुल शेष ₹ 4,304.72 करोड़ था जिसमें ₹ 2,601.10 करोड़ ब्याज शामिल है | इसमें से ₹ 4,304.72 करोड़ भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किए गये तथा ₹ 74.38¹ करोड़ निधि में शेष रहे | वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 100.00 करोड़ की धनराशि समेकित निधि से "ऋण शोधन निधि" में विनियोजित की गई |

2- लघु बचत निधि से ऋण-

डाकघर में 'अल्प बचत योजना' एवं 'लोक भविष्य निधि' के संचय में से दिए गये कर्ज को राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच 3:1 के अनुपात में विभाजित किया जा रहा है| अल्प बचत संग्रहों से ऋण प्रदत्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1999-2000 में एक अलग निधि यथा 'राष्ट्रीय लघु बचत निधि' की स्थापना की गई | वर्ष 2022-23 के दौरान इस निधि में किसी ऋण की प्राप्ति नहीं हुई हालाँकि ₹ 1,441.17 करोड़ का पुर्नभुगतान से किया गया | 31 मार्च 2023 को कुल ₹ 5,312.70 करोड़ के शेष बकाया था जो कि राज्य सरकार के कुल दायित्वों का 6.77 प्रतिशत था |

3- ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन -

वर्ष 2022-23 के दौरान समेकित ऋण शोधन निधि हेतु समेकित निधि से ₹ 100.00 करोड़ का अंशदान विनियोजित किया गया था, हालाँकि गारंटी मोचन निधि हेतु समेकित निधि से ₹ 10.00 करोड़ राशि विनियोजित की गई थी |

4- भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम-

भारत सरकार से लिए गये ऋण वर्ष 2021-22 की समाप्ति पर ₹ 7,443.32 करोड़ थे, जो वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर ₹ (+) 1,157.04 करोड़ की वृद्धि के साथ ₹ 8,600.36 करोड़ हो गये |

¹यह धनराशि वित्त लेखे (खण्ड-II) के मुख्य शीर्ष- 8222 के तहत समेकित ऋण शोधन निधि के निवल राशि को दर्शाती है यथा मूलधन (₹ 1,778.00 करोड़) - निवेश (₹ 1,703.62 करोड़) = ₹ 74.38 करोड़

**6 - उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ**

5- ऋण सेवा

ऋण और अन्य देयताओं पर ब्याज- वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के दौरान राजस्व से चुकाया गया बकाया कुल ऋण एवं अन्य दायित्व तथा निवल ब्याज का विवरण निम्न है:

	2021-22	2022-23	वर्ष के दौरान श्रद्ध वृद्धि (+) / कमी (-)
(i) वर्ष के अन्त में सकल ऋण और अन्य बकाया दायित्व			
(क) लोक ऋण, अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	70,533.11	71,612.37	(+)1,079.26
(ख) अन्य दायित्व	6,490.59	6,896.67	(-)406.08
योग (i)	77,023.70	78,509.04	(+)1,485.34
(ii) सरकार द्वारा चुकाया गया ब्याज			
(क) लोक ऋण, अल्प बचत, भविष्य निधियों आदि पर	4,886.11	4,859.03	(-)27.08
(ख) अन्य दायित्वों पर	52.72	244.33	(+)191.61
योग (ii)	4,938.83	5,103.36	(+)164.53
(iii) घटाइए			
(क) सरकार द्वारा दिये गये ऋणों और अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज	359.22	694.88	(+)335.66
(ख) रोकड़ शेष के निवेश पर प्राप्त ब्याज	34.23	44.17	(+)9.94
योग (iii)	393.45	739.05	(+)345.60
(iv) ब्याज प्रभार की निवल राशि	4,545.38	4,364.31	(-)181.07
(v) कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले सकल ब्याज की प्रतिशतता (मद ii)	11.47	10.40	(-)1.07
(vi) कुल राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले निवल ब्याज की प्रतिशतता (मद iv)	10.56	8.89	(-)1.67

₹ 20.00 करोड़ के कुछ अन्य प्राप्तियाँ एवं समायोजन हुए जैसे वाणिज्य विभागों से ब्याज प्राप्ति, राजस्व शेषों पर ब्याज तथा विविध लेखों पर ब्याज भी है | यदि ब्याज में यह भी घटा दिया जाय तो राजस्व पर ब्याज का भार ₹ 4,344.31 करोड़ रह जायेगा जो कि राजस्व प्राप्तियों का 8.85 प्रतिशत है।

सरकार ने वर्ष के दौरान विभिन्न उपक्रमों में निवेश के फलस्वरूप ₹ 25.07 करोड़ के लाभांश भी अर्जित किये |

6 - उधार एवं अन्य देयताओं का विवरण
व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

6- बाजार ऋण

ये लम्बी अवधि के ऋण हैं, जो बाजार से लिए गए तथा जिनकी भुगतान अवधि 12 महीने से अधिक है | वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 32,00.00 करोड़ राशि के पांच (05) ऋण खुले बाजार से लिए गये | विवरण नीचे दिए गए हैं-

बाजार ऋणों का विवरण

क्रम संख्या	ऋण का नाम	धनराशि (₹ करोड़ में)	सम्बंधित माह
1	7.85% एसडीएल-2032 12/10/2022	500.00	अक्टूबर 2022
2	7.62% एसजीएस-2033 11/01/2023	500.00	जनवरी 2023
3	7.67% एसजीएस-2033 08/02/2023	750.00	फरवरी 2023
4	7.74% एसजीएस-2033 01/03/2023	750.00	मार्च, 2023
5	7.76% एसजीएस-2033 29/03/2023	700.00	मार्च, 2023
	योग	3,200.00	

7. सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण

भाग - 1 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांश ऋणी समूहवार

ऋणी समूह	1 अप्रैल 2022 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	अशोध्य ऋण अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष	वर्ष के दौरान शुद्ध वृद्धि(+)/ कमी(-)	बकायों पर ब्याज भुगतान ¹
(₹ करोड़ में)							
सांविधिक निगम	215.47	17.76 ²	2,33.23	(+)17.76	...
सरकारी कम्पनियाँ	512.30	...	14.40	...	4,97.90	(-)14.40	...
नगर पालिका / नगर परिषद / नगर निगम	3.08	3.08
शहरी विकास प्राधिकरण	20.87	20.87
सहकारी संस्थाएं / सहकारी निगम / बैंक	1,069.40	74.59	2.14	...	11,41.85	(+)72.45	...
सरकारी कर्मचारी	(-)20.25	0.93	0.76	...	(-)20.08	(+)0.17	...
विविध उद्देश्यों हेतु ऋण	3.07	0.35	3.42	(+)0.35	...
अन्य	574.35	5,74.35
योग-ऋण एवं अग्रिम	2,378.28	93.63	17.30	...	24,54.61	(+)76.33	...

निम्नलिखित ऋण के मामलों को "शाश्वत ऋण" के रूप में स्वीकृति मिल चुकी है।¹

क्र० सं० ऋणी संस्था स्वीकृति वर्ष स्वीकृति आदेश सं० राशि ब्याज दर

¹राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

²इस राशि में वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति से संबंधित ₹12.47 करोड़ शामिल हैं।

7. सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
भाग - 2 ऋणों एवं अग्रिमों का सारांश क्षेत्रवार

क्षेत्र	1 अप्रैल 2022	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान	अशोध्य ऋण और अग्रिमों को बट्टे खाते में डालना	31 मार्च 2023 को शेष	वर्ष के दौरान शुद्ध वृद्धि(+)/ कमी(-)	बकाया ब्याज भुगतान ¹
	को शेष	संवितरण	पुनर्भुगतान				
(₹ करोड़ में)							
सामान्य सेवाएँ-							
अन्य ऋण	19.47	19.47
सामाजिक सेवाएँ-							
जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	42.09
आर्थिक सेवाएँ-							
कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ	1,116.47	74.59	2.14	...	1,188.91	(+)72.44	...
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	503.16
ऊर्जा	498.98	...	14.40	...	484.58	(-)14.40	...
उद्योग और खनिज	(-)0.17	(-)0.17
परिवहन	215.47	17.76 ²	233.23	(+)17.76	...
सरकारी कर्मचारी-	(-)20.25	0.93	0.76	...	(-)20.08	(+)0.17	...
विविध ऋण-	3.07	0.35	3.42	(+)0.35	...
योग	2,378.28	93.63	17.30	...	2,454.61	(+)76.33	...

¹ राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

² इस राशि में वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि की प्रतिपूर्ति से संबंधित ₹ 12.47 करोड़ शामिल हैं।

7. सरकार द्वारा दिये गए ऋणों एवं अग्रिमों का विवरण
भाग - 3 अन्य ऋणी संस्थाओं के बकायों के भुगतान का सारांश

ऋणी संस्था	31 मार्च 2023 को बकाया धनराशि			शीघ्रतम अवधि जिससे बकाया सम्बंधित है	31 मार्च 2023 को ऋणी समूह पर कुल बकाया ऋण
	मूलधन	ब्याज	योग		
					(₹ करोड़ में)

राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

8. सरकार के निवेशों का विवरण

2021-22 एवं 2022-23 के लिए सरकार का विभिन्न संस्थानों में पूँजीगत और ऋण-पत्रों में निवेश का तुलनात्मक विवरण							
(₹ करोड़ में)							
क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम	2022-23			2021-22		
		प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज ¹	प्रतिष्ठानों की संख्या	वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान प्राप्त लाभांश एवं ब्याज
1	सांविधिक निगम	1	135.42	-	1	134.42	
2	सरकारी कम्पनियां	16	3,908.48	25.07	16	3,684.52	
	योग	17	4,043.90	25.07	17	3,818.94	35.05

¹राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

9. सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गये ऋणों की वापसी हेतु राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का क्षेत्रवार विवरण										
क्षेत्र (कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या) ¹	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि ²	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अंत में बकाया ³	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य वस्तुपरक विवरण
					उन्मोचित की गई	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
(₹ करोड़ में)										
विद्युत	-	122.21	-	89.64	-	-	32.57	2.22	0.99	
सहकारिता	-	248.68	385.87	552.70	-	-	81.85	11.89	3.58	
राज्य वित्तीय निगम	-	1.25	-	0.36	-	-	0.89	0.22	-	
शहरी विकास एवं आवास	-	0.00	-	-	-	-	0.00	8.96	-	
अन्य संस्थाएं	406.72	2.20	-	0.29	-	-	1.91	0.16	-	
योग	406.72	374.34	385.87	642.99	0.00	0.00	117.22	23.45	4.57	

¹राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

²राज्य सरकार द्वारा अधिकतम प्रत्याभूतित राशि के सम्बन्ध में 'अन्य संस्थाएं' के अतिरिक्त कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है।

³उपलब्ध सूचना एवं राज्य सरकार के बजट पर आधारित

10. सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण

(i) वर्ष के दौरान सहायता-अनुदान के रूप में जारी कुल निधियों तथा परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा

अनुदेयी का नाम / श्रेणी	सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई कुल निधियाँ			कुल निधियों (कॉलम 2 में प्रदर्शित) से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आबंटित निधियाँ				
	2		3		2021-22		2022-2023	
	2021-22	2022-2023	2021-22	2022-2023	योग	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)	योग
	योग	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)	योग	योग	राज्य निधि व्यय	केंद्रीय सहायता सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)	योग
	(₹ करोड़ में)							
1 पंचायती राज संस्थायें								
(i) जिला पंचायतें/ जिलापरिषदे	214.84	223.28	52.13	275.41
(ii) विकास खण्ड स्तर की पंचायतें	111.10	104.19	34.75	138.94
(iii) ग्राम पंचायत	330.03	326.43	255.84	582.27
2 नगरीय स्थानीय निकाय								
(i) नगर निगम	313.87	357.24	65.30	422.54
(ii) नगर पालिका/नगर निगम	301.81	423.38	59.32	482.70
(iii) नगर पंचायत/ चिन्हित क्षेत्र/ समिति आदि	114.89	115.52	18.05	133.57
(iv) छावनी परिषद	3.70	...	5.24	5.24
3 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम								
(i) सरकारी कम्पनियां
(ii) साविधिक निगम	...	143.93	...	143.93
4 स्वायत्त निकाय								
(i) विश्वविद्यालय	315.23	328.22	...	328.22	2.14	11.80	...	11.80
(ii) विकास प्राधिकरण	133.12	225.52	104.52	330.04
(iii) सहकारी संस्थाएं	0.16	0.36	...	0.36
(iv) अन्य	418.60	493.92	11.32	505.24
5 गैर सरकारी संगठन	113.85	152.19	...	152.19
6 अन्य	3,487.24	2,494.48	1,636.18	4,130.66	703.96	326.37	112.30	438.67
योग-	5,858.45	5,388.66	2,242.65	7,631.31	706.10	338.17	112.30	450.47

10. सरकार द्वारा दिये गये सहायता अनुदानों का विवरण

(ii) वस्तु के रूप में कुल सहायता-अनुदान का मूल्य एवं वस्तु के रूप में सहायता अनुदान जो पूंजीगत परिसम्पत्ति के स्वरूप में हो, का मूल्य का विवरण

अनुदेयी का नाम / श्रेणी

वस्तु रूप में सहायता अनुदान का कुल मूल्य

पूंजीगत परिसम्पत्ति स्वरूप में वस्तु रूप में सहायता अनुदान का मूल्य

राज्य सरकार द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी |

11. दत्तमत एवं भारत व्यय का विवरण

विवरण	वास्तविक आंकड़े					
	2022-23			2021-22		
	भारत	दत्तमत	योग	भारत	दत्तमत	योग
	(₹ करोड़ में)					
व्यय शीर्षक (राजस्व खाता)	5,338.30	38,434.43	43,772.73	5,244.62	33,684.33	38,928.95
व्यय शीर्षक (पूँजीगत खाता)	...	8,194.51	8,194.51	...	7,533.50	7,533.50
लोक ऋण, ऋण एवं अग्रिम, अंतर्राज्यीय समायोजन एवं आकस्मिकता निधि को स्थानान्तरण के अंतर्गत संवितरण	8,474.77	93.63	8,568.40	3,830.15	347.46	4,177.61
योग-	13,813.07	46,722.57	60,535.64	9,074.77	41,565.29	50,640.06
(अ) आंकड़े निम्न से आये हैं -						
ड.-लोक ऋण						
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	8,412.58	...	8,412.58	3,774.61	...	3,774.61
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	62.19	...	62.19	55.54	...	55.54
च-ऋण एवं अग्रिम						
सामान्य सेवाओं हेतु ऋण
सामाजिक सेवाओं हेतु ऋण
आर्थिक सेवाओं हेतु ऋण	...	92.35	92.35	...	347.21	347.21
सरकारी कर्मचारियों को ऋण	...	0.93	0.93	...	0.25	0.25
विविध सेवाओं हेतु ऋण	...	0.35	0.35
छ-अंतर्राज्यीय निपटारा						
अंतर्राज्यीय निपटारा
ज-आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण						
आकस्मिकता निधि को स्थानांतरण

11. दत्तमत एवं भारित व्यय का विवरण

वर्ष	कुल व्यय का प्रतिशत	
	भारित	दत्तमत
2021-22	17.92	82.08
2022-23	22.82	77.18

12 - राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का विवरण

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान			31 मार्च 2023 को
		सकल	वसूलियाँ	शुद्ध (₹ करोड़ में)	
पूँजीगत एवं अन्य व्यय-					
पूँजीगत व्यय - (उप क्षेत्रवार)					
सामान्य सेवाएँ	5,456.05	1,607.92	1.28	1,606.64 ¹	7,062.69 ²
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	4,051.89	476.89	...	476.89	4,528.78
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2,422.91	298.51	...	298.51 ³	2,721.42
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	7,332.43	1,143.83	...	1,143.83 ⁴	8,476.26 ⁵
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	732.91	57.00	...	57.00	789.91
समाज कल्याण और पोषण	249.89	27.81	...	27.81 ⁶	277.70
अन्य सामाजिक सेवाएँ	189.86	8.11	...	8.11	197.97
कृषि और संबंधित गतिविधियाँ	6,014.13	446.47	55.98	390.49 ⁷	6,404.62
ग्रामीण विकास	11,571.76	1,917.54	...	1,917.54	13,489.30
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	2,443.05	2,443.05
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	7,065.73	374.59	...	374.59	7,440.32
ऊर्जा	3,520.53	151.49	...	151.49	3,672.02
उद्योग एवं खनिज	750.76	120.40	...	120.40	871.16
परिवहन	18,914.03	1,421.07	...	1,421.07	20,335.10
सामान्य आर्थिक सेवायें	1,181.31	192.88	...	192.88	1,374.19
योग - पूँजीगत व्यय (उपक्षेत्रवार)-	71,897.24	8,244.51	57.26	8,187.25	80,084.49

आकस्मिक निधि से अप्रिमां में 31 मार्च, 2023 तक किये गए व्यय के कारण ¹₹ 15.64 करोड़, ²₹ 15.64 करोड़, ⁴₹ 15.37 करोड़, ⁵₹ 15.37 करोड़, की वृद्धि हुई और वर्ष के अंत तक शेष राशि की वसूली नहीं हुई।

आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के कारण पिछले वर्षों से सम्बंधित ¹₹ 16.64 करोड़, ³₹ 0.87 करोड़, ⁶₹ 15.76 करोड़ ⁷₹ 5.00 करोड़, की कमी हुई।

12 - राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का विवरण

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान			31 मार्च 2023 को
		सकल	वसूलियाँ	शुद्ध (₹ करोड़ में)	
ऋण तथा अग्रिम-					
विभिन्न सेवाओं हेतु ऋण तथा अग्रिम					
सामान्य सेवाओं हेतु ऋण	19.47	19.47
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास और शहरी विकास	42.09	42.09
कृषि और सम्बंधित गतिविधियाँ	1,116.46	72.45	...	72.45	1,188.91
विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	503.16	503.16
ऊर्जा	498.98	(-)14.40	...	(-)14.40	484.58
उद्योग एवं खनिज	(-)0.17	(-)0.17
परिवहन	227.94	5.29 ⁸	...	5.29 ⁸	233.23
सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	(-)20.26	0.17	...	0.17	(-)20.09
विविध ऋण	3.07	0.36	...	0.36	3.43
योग - ऋण तथा अग्रिम-	2,390.75	63.87		63.87	2,454.62
आकस्मिकता निधि में विनियोग	500.00	500.00
योग - पूँजीगत तथा अन्य व्यय-	74,787.99	8,308.38	57.26	8,251.12	83,039.11
घटाइये-					
(i) आकस्मिकता निधि से अंशदान	50.75	(-)19.73	...	(-)19.73	31.02
(ii) विविध पूँजीगत प्राप्तियों से अंशदान	315.94	11.83	...	11.83	327.77
(iii) विकास निधियों, संचय निधियों इत्यादि से अंशदान
निवल -पूँजीगत तथा अन्य व्यय-	74,421.30	8,316.28	57.26	8,259.02	82,680.32

आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के कारण पिछले वर्षों से संबंधित आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के कारण ⁸₹ 12.47 करोड़ की कमी हुई।

12 - राजस्व खाते से भिन्न व्यय हेतु निधियों के स्रोतों व उनके उपयोग का विवरण

शीर्ष	1 अप्रैल 2022 को	वर्ष 2022-23 के दौरान			31 मार्च 2023 को
		सकल	वसूलियाँ	शुद्ध (₹ करोड़ में)	
निधियों के मुख्य श्रोत -					
ऋण			
राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	53,759.16	(-)200.73	53,558.43
केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	7,443.32	1,157.04	8,600.36
लघु बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	9,330.63	122.95	9,453.58
योग - ऋण-	70,533.11	1,079.26	71,612.37
अन्य प्राप्तियाँ					
आकस्मिकता निधि	231.33	90.16	321.49
आरक्षित निधियाँ	4,653.01	171.62	4,824.63
जमा और अग्रिम	3,535.78	344.46	3,880.24
उच्चत और विविध (रोकड़ शेष निवेश लेखा एवं सरकारी लेखे में संवृत की गयी राशि के अतिरिक्त)	492.54	(-)272.21	220.33
प्रेषण	71.01	17.22	88.23
योग - अन्य प्राप्तियाँ-	8,983.67	351.25	9,334.92
योग - ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ-	79,516.78	1,430.51	80,947.29
घटाइये -					
(i) रोकड़ शेष	112.47	(-)244.29	(-)131.82
(ii) निवेश ⁹	3,736.25	(-)1274.25	2,462.00
घटाइये: राजस्व घाटा / जोड़िये: राजस्व आधिक्य	(-)1041.82	5,309.97	4,268.15
जोड़िये - सरकारी लेखे में संवृत की गई राशि	(-)204.94	(-)204.94
निवल - निधियों का प्रावधान-	74,421.30	8,259.02	82,680.32

⁹ इसमें आरक्षित निधियों एवं रोकड़ शेष से किये गए निवेश सम्मिलित हैं।

13. शेषों का सार
(समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)

अ. 31 मार्च 2023 को शेषों का सारांश निम्नवत है-

नामे शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
76,162.51	क,ख,ग,घ,ङ,ज तथा ठ के भाग	समेकित निधि	
		सरकारी लेखा	
	ङ-	लोक ऋण	62,158.79
2,454.61	च-	ऋण तथा अग्रिम	
		आकस्मिकता निधि	
		आकस्मिकता निधि	321.50
		लोक लेखा	
	झ-	लघु बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	9,453.58
	ज-	आरक्षित निधि	
		(i) आरक्षित निधि ब्याज सहित-	2,933.92
		(ii) आरक्षित निधि ब्याज रहित-	1,890.72
1,808.62		निवेश	
	ट	जमा तथा अग्रिम	
		(i) जमा ब्याज सहित-	440.75
		(ii) जमा ब्याज रहित-	3,439.91
		(iii) अग्रिम	
0.42			
	ठ	उच्चंत एवं विविध	
		(i) उच्चंत-	150.59
581.46		(ii) अन्य लेखे-	
		(iii) निवेश	
		(iv) अन्य मर्दे (शुद्ध)	
2.19		(v) विदेशी देशों की सरकारों के साथ लेखे	

13. शेषों का सार
(समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)

अ. 31 मार्च 2023 को शेषों का सारांश निम्नवत है-

नामे शेष (₹ करोड़ में)	सामान्य लेखे के क्षेत्र	लेखे का नाम	जमा शेष (₹ करोड़ में)
	ड-	प्रेषण	88.23
	ढ-	रोकड़ शेष	131.82
81,009.81		योग	81,009.81

(क) रोकड़ शेष में सम्मिलित 'रिजर्व बैंक में जमा' से सम्बंधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित एवं लेखे में प्रदर्शित आंकड़ों में अंतर था | त्रुटियाँ मिलान/ समाशोधन के अधीन हैं | इस सम्बन्ध में खण्ड-I में ' वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ' खण्ड-1 के पृष्ठ 55 को देखें |

ब. सरकारी लेखे: सरकारी लेखे में अनुसरित बही खाता रखने की प्रणाली के अनुसार राजस्व और पूंजीगत शीर्षों के अंतर्गत पुस्तकित राशियाँ तथा सरकार के अन्य लेन-देन जिनके शेष लेखे में वर्षानुवर्ष आगे नहीं ले जाए जाते एक ही शीर्ष में संवरित किये जाते हैं जिसे 'सरकारी लेखा' कहा जाता है | इस शीर्ष का शेष ऐसे ही सभी लेन-देनों के संचयी परिणाम का द्योतक है |

इसमें लोक ऋण, ऋण और अग्रिम, लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा और अग्रिम, उचंत और विविध (विविध सरकारी लेखे के अलावा), प्रेषण और आकस्मिक निधि, आदि के तहत शेष राशि को जोड़ा जाता है और वर्ष के अंत में अंतिम नकद शेष राशि की गणना की जाती है और साबित की जाती है। सारांश में अन्य शीर्षक सरकारी पुस्तकों में सभी लेखा शीर्षों के तहत शेष राशि जिनके संबंध में सरकार को प्राप्त धन को चुकाने का दायित्व है या भुगतान की गई राशि की वसूली का दावा है और साथ ही खातों में खोले गए खातों के शीर्ष प्रेषण लेनदेन का समायोजन होना है, को ध्यान में रखते हैं ।

यह समझ लेना आवश्यक है कि इन शेषों को उत्तराखंड सरकार की वित्तीय स्थिति का पूरा अभिलेख नहीं माना जा सकता है क्योंकि इनके अंतर्गत भूमि इमारतेंसंचार व्यवस्था आदि जैसी राज्य की भौतिक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जाता है और न इनमें ऐसी संचित देय राशियों का बकाया या देयताओं को शामिल किया जाता है जिन्हें सरकार द्वारा अनुसरण किये जाने वाले रोकड़ पद्धति के लेखे के अंतर्गत लेखों में सम्मिलित नहीं किया जाता है |

13. शेषों का सार
(समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा)

स. वर्ष के अंत तक सरकारी लेखे में शेष (नामे) राशि की गणना निम्न प्रकार से की गयी है:-

31 मार्च 2023 को शेषों का सारांश

नामे (₹ करोड़ में)	विवरण	जमा (₹ करोड़ में)
73,289.80	क. 1 अप्रैल 2022 को सरकारी लेखे में शेष (नामे) राशि	
	ख. प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)	49,082.70
	ग. प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	11.83
43,772.73	घ. व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	
8,194.51	ड. व्यय शीर्ष (पूँजीगत लेखा)	
...	च. उच्चंत तथा विविध (विविध सरकारी लेखे)	
	छ. 31 मार्च 2023 को सरकारी लेखे में शेष (नामे) राशि	76,162.51
...	ज. आकस्मिकता निधि को हस्तांतरित	
1,25,257.04	योग	1,25,257.04

- (i) कई प्रकरणों में, विवरण सं० 2 व 21 आदि में 'प्राप्ति संवितरण आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा' से सम्बंधित प्रतिवेदित अंतिम शेषों एवं इस उद्देश्य हेतु अनुरक्षित रजिस्ट्रों एवं अन्य अभिलेखों के शेषों में असमाधानित अंतर हैं | इन भिन्नताओं को दूर करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं |
- (ii) प्रत्येक वर्ष शेषों के सत्यापन एवं स्वीकृति के लिए सम्बंधित पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है | बहुत से मामलों में ऐसी स्वीकृतियां प्राप्त नहीं हुई हैं |
- (iii) प्रकरण जिनमें शेषों को स्वीकार करने में विलम्ब हुआ है तथा जिनकी धनराशि अधिक है उन्हें परिशिष्ट -VII (1) में दिखाया गया है |
- (iv) प्रकरण जहां विवरण / दस्तावेज अभी तक शेषों का मिलान हेतु वांछित है उन्हें परिशिष्ट VII (2) में दर्शाया गया है |

वर्ष 2022-23 हेतु वित्त लेखों पर टिप्पणियाँ

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश:

(i) रिपोर्टिंग इकाइयाँ:

ये लेखे उत्तराखण्ड सरकार के लेन-देनों को प्रदर्शित करते हैं | उत्तराखण्ड सरकार के प्राप्तियों एवं व्यय के लेखे 20 कोषागारों, 106 लोक निर्माण प्रखंडों (85 भवन एवं सड़क, 21 ग्रामीण निर्माण प्रखंड), 57 वन प्रखंडों (46 वन तथा 11 जलागम), 85 सिंचाई / जल संसाधन प्रखंडों से प्राप्त प्रारंभिक लेखों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त सलाहों के आधार पर संकलित किये गये हैं | वर्ष के अंत में कोई भी लेखे अपवर्जित नहीं किये गये हैं |

(ii) लेखांकन अवधि:

इन लेखों की लेखांकन अवधि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है |

(iii) रिपोर्टिंग मुद्रा:

उत्तराखण्ड सरकार के लेखे भारतीय रुपयों (₹) में प्रदर्शित किए जाते हैं |

(iv) लेखों का स्वरूप:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 150 के अन्तर्गत संघ एवं राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाते हैं जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति निर्धारित करें। अनुच्छेद 150 में प्रयुक्त शब्द 'प्रारूप' का एक व्यापक तात्पर्य है जिसमें न केवल लेखे रखे जाने का विस्तृत स्वरूप बल्कि लेन-देनों के वर्गीकरण हेतु उपयुक्त शीर्षों का चुनाव, जिससे लेखों का चार्ट बनता है, भी शामिल है |

(v) बजट एवं वित्तीय रिपोर्टिंग का आधार:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से पहले अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण (जिसे बजट कहा जाता है), अनुदानों / विनियोगों के रूप में विधायिका को प्रस्तुत एवं विधायिका द्वारा पारित किया जाता है | बजट को बिना वसूलियों एवं प्राप्तियों के, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित करने की अनुमति है, सकल आधार पर प्रस्तुत किया जाता है | बजट और खातों के शीर्षों से संबंधित वो सभी अनुदान / विनियोग जिनकी शेष राशि को आगे नहीं बढ़ाया जाता है, वित्तीय वर्ष के अंत में समाप्त हो जाते हैं |

बजट एवं लेखे: राज्य के बजट और लेखा दोनों एक ही लेखा अवधि, लेखांकन के नकद आधार और वर्गीकरण के समान आधार का पालन करते हैं। खातों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से लेखा महानियंत्रक द्वारा अधिसूचित मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के अनुसार लघु शीर्षों के स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। लघु शीर्ष स्तर के नीचे वर्गीकरण कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा प्रदान की गयी सहमति के अनुसार है |

एक अलग बजट तुलना विवरण विनियोग लेखों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जो अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक संवितरण प्रदर्शित करता है |

नकद आधार: अपवाद स्वरूप कुछ पुस्तकीय समायोजनों, जो अधिकृत हैं, को छोड़कर ये लेखे लेखा अवधि के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रदर्शित करते हैं | वित्त लेखों में प्राप्तियों और संवितरणों को वसूलियां, कटौतियां और प्रतिदाय को घटाकर निवल आधार पर प्रदर्शित किया जाता है |

पुस्तकीय समायोजन: पुस्तकीय समायोजन गैर-नकद लेन-देन हैं जो खातों में समायोजन / निपटान के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें से कुछ लेन-देन यथा वेतन से कटौती और वसूली कर राजस्व प्राप्तियों/ऋणों/लोक लेखे में समायोजन, समेकित निधि और लोक लेखे के बीच धन के हस्तांतरण के लिए 'शून्य' बिल आदि, खाता प्रेषित करने वाली इकाइयों यथा कोषागारों, प्रभागों आदि के स्तर पर होते हैं |

पुस्तकीय समायोजन कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) में भी किया जाता है। दूसरों के बीच, इनमें संचित निधि को डेबिट करके लोक लेखे में निधियों (जैसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि, ऋण शोधन निधि, आदि) के निर्माण और उनमें योगदान के लिए पुस्तांकन; संचित निधि को नामे करके लोक लेखे के जमा लेखाशीर्षों में जमा करना; सामान्य भविष्य निधि और राज्य सरकार समूह बीमा योजना पर ब्याज का वार्षिक समायोजन प्रमुख शीर्ष 2049-ब्याज भुगतान को डेबिट करके और संबंधित लोक लेखे में मुख्य शीर्षों में जमा करना; केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार की योजना के तहत ऋण माफी का समायोजन; आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति आदि शामिल है |

राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के मध्य वर्गीकरण: स्थायी प्रकृति की मूर्त संपत्ति (संगठन में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य कार्यप्रणाली में बिक्री के लिए नहीं) या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाता है | रखरखाव, मरम्मत और कार्य चालन खर्च पर अनुवर्ती खर्च जो संपत्ति को उपयोगी बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही स्थापना और प्रशासनिक खर्चों सहित संगठन को दिन-प्रतिदिन चलाने के लिए किए गए अन्य सभी खर्चों को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है | लेखों में पूंजीगत और राजस्व व्यय को अलग-अलग दिखाया जाता है |

भौतिक एवं वित्तीय सम्पत्तियां एवं देयताएं: भौतिक एवं वित्तीय सम्पत्तियों (जैसे निवेश, सरकार द्वारा दिए गये ऋण एवं अग्रिम आदि) साथ ही देयताओं (जैसे ऋण आदि) को परम्परागत लागत अर्थात् अधिग्रहण/ क्रय वर्ष में कीमत के आधार पर मूल्यांकित किया गया है | भौतिक सम्पत्तियां हासित एवं वित्तीय संपत्तियां अवमूल्यित नहीं की गई हैं | भौतिक सम्पत्तियों की समय सीमा समाप्ति पर भी इनकी हानियों को मूल्यांकित नहीं किया जाता |

सहायता अनुदान: भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों को छोड़कर भारत सरकार के लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)-2: सहायता अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण, के अनुपालन में नकद सहायता अनुदान को संवितरण के समय राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, भले ही इसमें अनुदान प्राप्त कर्ता द्वारा संपत्ति का निर्माण शामिल हो | प्राप्त हुए सभी अनुदानों को राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है | राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों के लेखांकन और वर्गीकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विवरण वित्त लेखों के विवरण 10 और परिशिष्ट III में दर्शाया गया है | वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदानों के संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है |

ऋण एवं अग्रिम: आई.जी.ए.एस.-3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम, के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा किए गए ऋण और अग्रिमों का विवरण वित्त लेखों के विवरण 7 और 18 में प्रकट किया गया है | 31 मार्च 2023 को विवरण में दर्शाए गए अंतिम शेषों को ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार के साथ मिलान करने की आवश्यकता है।

सेवानिवृत्ति लाभ: रिपोर्टिंग अवधि के दौरान संवितरित सेवानिवृत्ति लाभों को लेखों में दर्शाया गया है, लेकिन पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के प्रति सरकार की भविष्य की पेंशन देयता यानी अपने कर्मचारियों की अतीत और वर्तमान सेवा के लिए सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान की देयता को लेखों में शामिल नहीं किया गया है |

(vi) पूर्णांकन:

ये लेखे ₹ लाख में और ₹ करोड़ में पूर्णांकित किये गये आंकड़े प्रस्तुत करते हैं जैसा कि संबंधित विवरणों के शीर्ष पर दर्शाया गया है | खण्ड-I और खण्ड-II में क्रमशः सारांशित विवरणों और विस्तृत विवरणों में, जहां कहीं भी ₹ 0.01 / 0.02 करोड़ / लाख का मामूली अंतर होता है, पूर्णांकन के कारण होता है।

(vii) रोकड़ शेष:

लेखों में दर्ज रोकड़ शेष की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय लेखा अनुभाग के साथ राज्य सरकार के खाते में उस वर्ष में 31 मार्च के अंत में शेष राशि है | रोकड़ शेष वर्ष के लिए राज्य के समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे से जुड़े नकद लेनदेन के बाद शेष राशि को दर्शाता है | पुस्तकीय समायोजन रोकड़ शेष को प्रभावित नहीं करते हैं | वित्त लेखों में दर्ज नकद शेष भारतीय रिजर्व बैंक के दस्तावेजों से मिलान के अधीन है |

(viii) प्रतिबद्ध एवं आकस्मिक देयताओं का प्रकटन:

आकस्मिक देनदारियों की पहचान नहीं की जाती है | आई.जी.ए.एस. 1: 'सरकारों द्वारा दी गई गारंटी' के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार वित्त लेखों के विवरण 9 और 20 में प्रत्याभूतियों के क्षेत्र-वार विवरण का खुलासा किया गया है |

सरकार प्रतिबद्धता लेखांकन का पालन नहीं करती है और प्रतिबद्धताओं को न तो दर्ज करती है और न ही प्रतिबद्धता के सापेक्ष देयताएं लेखों में दर्शाती है, साथ ही, यह वित्त लेखों के परिशिष्ट XII के तहत अपनी भविष्य की प्रतिबद्धताओं का खुलासा नहीं करती है |

2. लेखांकन तंत्र की अनुपालना:

(i) अनाधिकृत लेखाशीर्षों का संचालन:

वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तराखंड राज्य सरकार ने 07 अनाधिकृत उप मुख्य शीर्ष और 02 लघु शीर्ष (राजस्व अनुभाग के तहत 05 (उप मुख्य शीर्ष) और पूंजीगत अनुभाग के तहत 04 (02 उप मुख्य शीर्ष और 02 लघु शीर्ष)) के तहत बजट प्रावधान किया और इन लेखाशीर्षों में राजस्व अनुभाग के तहत ₹ 27.46 करोड़ (03 उप मुख्य शीर्षों में) और पूंजी अनुभाग के तहत ₹ 3.07 करोड़ (01 उप मुख्य शीर्ष में) का व्यय किया गया।

(ii) बजट प्रावधानों के चित्रण में विसंगति एवं गलत वर्गीकरण:

वर्ष 2022-23 के लिए राज्य सरकार के बजट दस्तावेजों में निम्नलिखित लेखाशीर्षों के संबंध में बजट प्रावधान और व्यय का सही वर्गीकरण नहीं दर्शाया गया है:

(क) अनुदान संख्या 07 के अंतर्गत लेखाशीर्ष 2049-03-117 और 2049-05-105 के स्थान पर 2049-60-701 के अंतर्गत ₹ 170.00 करोड़ का बजट प्रावधान दो योजनाओं के लिए किया गया था (1. नई पेंशन योजना के लिए ब्याज (₹ 20.00 करोड़), 2. ब्याज का स्थानांतरण CAMPA निधि (₹ 150.00 करोड़))।

वर्ष 2023-24 के बजट दस्तावेजों में आवश्यक सुधार के लिए मामला राज्य सरकार के समक्ष उठाया गया है।

3. समेकित निधि:

(i) वस्तु एवं सेवा कर:

वस्तु एवं सेवा कर 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था | वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 2021-22 में ₹ 5,973.36 करोड़ की तुलना में ₹ 1,367.28 करोड़ (22.89 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹ 7,340.64 करोड़ था | इसमें समेकित वस्तु एवं सेवा कर से अग्रिम आबंटन के अंतर्गत प्राप्त ₹ 295.89 करोड़ शामिल है | इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत राज्य सरकार ने राज्य को समनुदेशित शुद्ध आय का भाग ₹ 3,000.03 करोड़ प्राप्त किया | जीएसटी के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ ₹ 10,340.67 करोड़ थीं। राज्य को वर्ष 2022-23 के दौरान जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण राजस्व प्राप्ति के रूप में ₹ 2,135.61 करोड़ का मुआवजा प्राप्त हुआ।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य वस्तु एवं सेवा कर के वित्त लेखों में पुस्तांकित आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों में कोई अंतर नहीं था |

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरण संख्या 14 में उपलब्ध हैं।

(ii) राजस्व एवं पूँजीगत के मध्य व्यय का गलत/अपर्याप्त पुस्तांकन:

वर्ष 2022-23 के दौरान, उत्तराखंड सरकार ने गलत तरीके से ₹ 14.71 करोड़ (वृहद निर्माण) और ₹ 0.52 करोड़ (भूमि खरीद) के व्यय को पूँजी अनुभाग के बजाय राजस्व अनुभाग के तहत दर्ज किया, जैसा कि व्यय के उद्देश्य से निर्धारित किया गया है। इससे राजस्व व्यय की अत्युक्ति हुई है |

इसमें वित्त लेखों के विवरण 4, 5, 15 और 16 के आंकड़ों का संदर्भ है |

(iii) मुख्य नियंत्रण अधिकारियों एवं महालेखाकार (ले. एवं हक.) के बीच प्राप्तियों एवं व्यय का मिलान:

सभी नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सरकार के प्राप्ति एवं व्यय के आँकड़ों का महालेखाकार (ले0 एवं ह0) के आँकड़ों से मिलान कराना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 58,266.57 करोड़ की प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों का 99.53 प्रतिशत) और ₹ 56,992.72 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 94.15 प्रतिशत) का मिलान राज्य सरकार द्वारा कराया गया |

वर्ष 2021-22 अर्थात् पिछले वर्ष के दौरान ₹ 48,540.27 करोड़ की प्राप्तियों (कुल प्राप्तियों का 95.19 प्रतिशत) और ₹ 45,077.86 करोड़ के व्यय (कुल व्यय का 89.02 प्रतिशत) का मिलान राज्य सरकार द्वारा कराया गया था |

(iv) लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत पुस्तांकन:

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/800-अन्य प्राप्तियाँ तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखों में उपयुक्त लेखा शीर्ष नहीं दिया गया हो | लघु शीर्ष 800 का नियमित संचालन से बचना चाहिए क्योंकि इससे लेखे अस्पष्ट हो जाते हैं |

वर्ष 2022-23 के दौरान 32 मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,625.33 करोड़, जो कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (₹ 51,967.24 करोड़) का 3.13 प्रतिशत है, लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये | पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान 32 मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,343.44 करोड़ जो कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय (₹ 46,462.45 करोड़) का 2.89 प्रतिशत था, लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये था |

उसी प्रकार से वर्ष 2022-23 के दौरान 45 मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,437.85 करोड़ जो कुल राजस्व (₹ 49,082.70 करोड़) का 7.00 प्रतिशत है, लघु शीर्ष '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये | पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान 46 मुख्य लेखाशीर्षों के अंतर्गत ₹ 1,223.56 करोड़ जो कुल राजस्व (₹ 43,056.99 करोड़) का 2.84 प्रतिशत था, लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था |

इसमें वित्त लेखों के विवरण 14, 15 और 16 के आंकड़ों का संदर्भ है |

(v) व्यक्तिगत जमा (पी.डी.) खातों में निधियों का स्थानांतरण:

व्यक्तिगत जमा खातों के माध्यम से नामित आहरण अधिकारी किसी योजना से सम्बंधित विशेष उद्देश्यों हेतु व्यय कर सकते हैं |

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 5.85 करोड़ की धनराशि इन व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित की गयी | इसमें मार्च 2023 में हस्तांतरित किये गये ₹ 4.31 करोड़ सम्मिलित हैं, मार्च 2023 के अंतिम कार्य दिवस पर कोई भी धनराशि हस्तांतरित नहीं की गयी |

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1, 2008, के परिशिष्ट 20 के अनुसार व्यक्तिगत जमा खातों के 25 प्रशासकों में से किसी ने भी उनके शेषों का कोषागारों के शेषों से मिलान और सत्यापन नहीं कराया और उनके द्वारा महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने हेतु कोषागार अधिकारियों को कोई वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किये गये |

31 मार्च 2023 को व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष		वर्ष 2022-23 के दौरान परिवर्धन		वर्ष 2022-23 के दौरान बंद/निकासी		31 मार्च 2023 को अंतिम शेष	
प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि	प्रशासकों की संख्या	धनराशि
45	188.07	0	5.85	20	64.64	25	129.28

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरण सं. 21 में उपलब्ध हैं |

31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष) के अंत में, 45 प्रशासकों के व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 188.07 करोड़ की धनराशि शेष थी |

(vi) असमायोजित सार आकस्मिक (ए.सी.) बिल:

वित्तीय नियम (केंद्रीय कोषागार नियमों का नियम 290) परिकल्पित करते हैं कि सरकारी कोषागार से तब तक कोई धनराशि नहीं निकाली जानी चाहिए जब तक यह तत्काल संवितरण हेतु आवश्यक ना हो | आकस्मिक परिस्थितियों में आहरण और वितरण अधिकारी सार आकस्मिकता बिल के माध्यम से धनराशि निकालने हेतु अधिकृत हैं | उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1, 2008 के अनुसार आहरण और वितरण अधिकारियों को अंतिम व्यय के सम्बन्ध में उद्देश्य पूर्ति के एक माह के भीतर विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल देयकों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

वर्ष 2022-23 के दौरान आहरित ₹ 8.98 करोड़ के 271 सार आकस्मिक बिलों में से ₹ 0.24 करोड़ (2.67 प्रतिशत) के 05 बिल मार्च 2023 में आहरित किए गए | 31 मार्च 2023 तक ₹ 11.36 करोड़ के 74 सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रति हस्ताक्षरित आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं हुए |

31 मार्च 2023 तक विस्तृत बिल प्रस्तुत ना होने से असमायोजित सार आकस्मिक बिलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	असमायोजित सार आकस्मिक बिलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2021-22	37	10.60
2022-23	37	0.77
योग	74	11.37

31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष) के अंत में, कुल 243 सार आकस्मिक बिलों के संबंध में ₹ 27.33 करोड़ के विस्तृत आकस्मिक बिल प्राप्त नहीं हुए थे।

(vii) सहायक अनुदानों के अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.):

उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड-5 भाग-1, 2008 के नियम 369-D के अनुसार अनुदान प्राप्त होने के 12 महीने के भीतर या उसी प्रयोजन हेतु दूसरी अनुदान हेतु आवेदन करने से पूर्व, जो भी पहले हो, अनुदेयी द्वारा प्राप्त अनुदान के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुदाता को प्रेषित करना आवश्यक है | उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की सीमा तक इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्त लेखों में दर्शाए गई धनराशि लाभार्थियों तक पहुंची है या नहीं |

वर्ष 2022-23 के दौरान, अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र से सम्बंधित ₹ 1,706.67 करोड़ के 354 उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समाशोधन किया गया, जो वर्ष 2022-23 तक देय थे | 31 मार्च 2023 को अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति निम्नवत है:

वर्ष ¹	अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
2021-22 तक	01	20.29
2022-23	267	844.03
योग	268	864.32

इसमें वित्त लेखों के विवरण 10 एवं परिशिष्ट III के आंकड़ों का संदर्भ है |

31 मार्च 2022 (पिछले वर्ष) को ₹ 1390.08 करोड़ के 321 उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे।

(viii) ब्याज समायोजन:

श्रेणियों ज-आरक्षित निधियाँ (क-ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ) और ट-जमा और अग्रिम (क-ब्याज सहित जमा) के शेषों के सापेक्ष ब्याज अदायगी के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और इसके लिए लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्षों की सूची (LMMHA) में विशेष उप-मुख्य लेखा शीर्ष दिए गये हैं |

¹ उपर्युक्त वर्ष “देय वर्ष” अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीने बाद को दर्शाता है |

वर्ष 2022-23 के दौरान इन निधियों/जमाओं और सरकार द्वारा दिए गये ब्याज का विवरण निम्नवत है:

(₹ करोड़ में)

निधियाँ/जमा	1 अप्रैल 2022 को शेष	ब्याज गणना का आधार	देय ब्याज	ब्याज भुगतान
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ - SDRF	2.27	ब्याज 7.49 प्रतिशत पर गणित (SDRF के दिशानिर्देशों के अनुसार)	0.17	...
ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ - SCAF	2,873.61	ब्याज 3.35 प्रतिशत पर गणित (भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सूचित)	96.27	150.00
ब्याज सहित जमा (CPS MH 8342-117 के अलावा)	370.33	ब्याज 5.49 प्रतिशत पर गणित (वर्ष 2022-23 के लिए औसत अर्थोपाय ब्याज दर 5.49 लेते हुए)	20.33	74.33
NPS (8342-117) के अंतर्गत अहस्तांतरित राशि	83.21	ब्याज की गणना सरकार द्वारा अधिसूचित सा०भ०नि० पर देय ब्याज 7.10 प्रतिशत की दर पर की गयी है	5.91	20.00
		योग	122.68	244.33

इसमें वित्त लेखों के विवरण 15, 21 एवं 22 के आंकड़ों का संदर्भ है |

(ix) सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ:

उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम, 2016 के अनुसार किसी भी वर्ष में 01 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल प्रत्याभूति की मात्रा राज्य के उस वर्ष की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 01 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी | वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल प्रत्याभूतित राशि ₹ 385.87 करोड़ है | 1 अप्रैल 2022 को प्रदत्त प्रत्याभूतियाँ ₹ 374.34 करोड़ थी जो वर्ष 2022-23 की अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ 3,02,620.68 करोड़) का 0.12 प्रतिशत हैं और निर्धारित सीमाओं के अंदर हैं |

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को ₹ 4.57 करोड़ (राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत ₹ 0.98 करोड़ और लोक लेखा के अंतर्गत ₹ 3.59 करोड़) प्रत्याभूति शुल्क के रूप में प्राप्त हुए जो वर्ष 2022-23 के दौरान प्रत्याभूतित धनराशि (₹ 385.87 करोड़) का 1.18 प्रतिशत था | उत्तराखण्ड सरकारी प्रत्याभूति की अधिकतम परिसीमा अधिनियम 2016 के अनुसार सरकार प्रत्याभूतित धनराशि का न्यूनतम 01 प्रतिशत प्रत्याभूति शुल्क अधिरोपित करेगी जो ₹ 3.86 करोड़ होता है |

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरण 9, 14 एवं 20 में उपलब्ध हैं |

(x) पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण पर व्यय:

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण हेतु किया गया व्यय वित्त लेखों में विभिन्न प्रकार्यात्मक लेखाशीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष स्तर तक दर्शाया जाता है | वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435 के अंतर्गत ₹ 13.46 करोड़ के बजट आबंटन के सापेक्ष ₹ 1.41 करोड़ का व्यय किया | पिछले वर्ष 2021-22 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने मुख्य शीर्ष 3435 के अंतर्गत ₹ 12.55 करोड़ के बजट आबंटन के सापेक्ष ₹ 0.52 करोड़ का व्यय किया था |

इसमें वित्त लेखों के विवरण 15 एवं 16 के आंकड़ों का संदर्भ है |

(xi) केंद्रीय ऋणों को बड़े खाते में डालना:

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के क्रम में भारत के वित्त मंत्रालय ने दिनांक 29 फरवरी 2012 के आदेशों की एक श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों द्वारा (स्वयं वित्त मंत्रालय द्वारा दिए अग्रिमों को छोड़कर) 31 मार्च 2010 तक केंद्रीय योजना और केंद्रीय पुरोनिधानित योजना हेतु राज्य सरकार को दिए गये ऋणों को बड़े खाते में डाल दिया था | वित्त मंत्रालय ने राज्य सरकारों को आदेश की प्रभावी तिथि (31 मार्च 2010) से किये गये मूलधन और ब्याज की अधिक चुकौती को वित्त मंत्रालय को भविष्य में किये जाने वाले भुगतान के सापेक्ष समायोजित करने की अनुमति दी | उत्तराखण्ड सरकार ने 31 मार्च 2013 तक ₹ 14.13 करोड़ (₹ 5.75 करोड़ मूलधन, ₹ 8.38 करोड़ ब्याज) की अधिक चुकौती की थी जिसमें से वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक ₹ 11.13 करोड़ समायोजित किये जा चुके हैं |

इसमें वित्त लेखों के विवरण सं. 17 के आंकड़ों का सन्दर्भ है |

(xii) राज्य सरकार द्वारा दिए गये ऋण:

₹ 42.09 करोड़ के पुराने ऋणों के संबंध में (जिनके विस्तृत खाते महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा रखे जाते हैं) जिसमें 02 विभाग शामिल थे, पिछले कई वर्षों के दौरान मूलधन और ब्याज की वसूली नहीं की गई है और ऐसे सभी ऋण 10 वर्षों से अधिक पुराने हैं |

सांविधिक निकायों/अन्य संस्थाओं को ₹ 92.34 करोड़ के ऋणों (विवरण वित्त खातों के विवरण 18 के अतिरिक्त प्रकटीकरण में हैं) के पुनर्भुगतान के नियमों और शर्तों का निपटान नहीं किया गया है | फलस्वरूप, इसके सापेक्ष राज्य सरकार की प्राप्य धनराशि का अनुमान नहीं लगाया जा सका |

महालेखाकार (लेखा एवं हक) वार्षिक रूप से सत्यापन और स्वीकृति के लिए ऋण की शेष राशि (जिनके विस्तृत खातों का रखरखाव महालेखाकार द्वारा किया जाता है) ऋण स्वीकृत करने वाले विभागों को सूचित करता है | किसी भी ऋणी ने शेष राशि की पुष्टि नहीं की है | शेष राशि के समाधान हेतु विभागीय अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-VII में दिया गया है |

इसमें वित्त लेखों के विवरण सं. 7 एवं 18 के आंकड़ों का सन्दर्भ है |

(xiii) प्रतिबद्ध देयताएं:

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा लेखांकन के प्रोद्भवन आधार की ओर बढ़ने के लिए कार्यवाही शुरू की गयी है | चूँकि यह बदलाव चरणों में होना है, वर्तमान नकद लेखांकन प्रणाली को प्रोद्भवन-आधारित प्रणाली में बदलने हेतु और निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु विवरणों के रूप में कुछ अतिरिक्त जानकारी को नकद लेखांकन की वर्तमान प्रणाली में जोड़ने की आवश्यकता है | राज्य सरकार को प्रतिबद्ध देयताओं पर सूचना उपलब्ध करानी थी किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया |

(xiv) ब्लॉक अनुदानों के अतिरिक्त केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का पुनर्गठन:

आयोजनागत/गैर-आयोजनागत व्यय के विलय के परिणामस्वरूप, अब, जारी की गयी केंद्रीय सहायता को केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत केंद्रीय सहायता/अंश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है |

31 मार्च 2023 को केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत पुस्तांकित कुल व्यय ₹ 9,603.23 करोड़ (₹ 4,321.16 करोड़ राजस्व व्यय और ₹ 3,796.83 करोड़ पूंजीगत व्यय, सी.एस.एस में राज्य की हिस्सेदारी ₹ 1,485.24 करोड़) है, जिसमें केंद्रीय पुरोनिधानित योजनाओं हेतु केंद्रीय सहायता एवं राज्य का भाग सम्मिलित हैं |

इसमें वित्त लेखों के विवरण सं. 15 एवं 16 के आंकड़ों का सन्दर्भ है |

(xv) राज्य में कार्यान्वयन संस्थाओं को केंद्रीय योजना निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण (राज्य बजट के बाहर से उपलब्ध कराई गयी धनराशि):

लेखा महा निदेशक (सी.जी.ए.) के सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल के अनुसार वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 4,335.37 करोड़ सीधे मध्यवर्ती संस्थाओं / लाभार्थियों को हस्तांतरित किये गये |

वर्ष 2021-22 की तुलना में कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण 10.16 प्रतिशत कम हो गया है (2021-22 में ₹ 4,825.65 करोड़ से 2022-23 में ₹ 4,335.37 करोड़)। विवरण वित्त लेखों के परिशिष्ट-VI में दिया गया है |

(xvi) राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएं:

राज्य सरकार ने बजट दस्तावेज / वार्षिक वित्तीय विवरण में ऑफ बजट देनदारियों का खुलासा नहीं किया है |

(xvii) एकल नोडल संस्थानों (एस.एन.ए.) के बैंक खाते में पड़ी अव्ययित राशि:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पी.एफ.एम.एस/एफसीडी/2020 दिनांक 23-03-2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सी.एस.एस) के तहत धन जारी करने और एस.एन.ए के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सी.एस.एस के लिए, एस.एन.ए की स्थापना राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए अधिकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में स्वयं के बैंक खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय हिस्से को संबंधित राज्य के हिस्से के साथ संबंधित एस.एन.ए के खाते में स्थानांतरित करना है।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार को अपने कोषागार लेखों में, केंद्रांश के रूप में, ₹ 4,916.41 करोड़ प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने एस.एन.ए को कोषागार लेखों में केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त ₹ 4,988.15 करोड़ रुपये, राज्य के हिस्से के रूप में ₹ 1,303.48 करोड़ रुपये और अवर्गीकृत राशि के रूप में ₹ 81.18 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। ₹ 6,372.81 करोड़ के कुल हस्तांतरण में से, पूरी राशि पूरी तरह से प्रमाणित आकस्मिक बिलों/सामान्य बिलों के माध्यम से स्थानांतरित की गई थी। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज ए.जी. कार्यालय को एस.एन.ए से प्राप्त नहीं हुए थे। पी.एफ.एम.एस पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार 31 मार्च 2023 तक एस.एन.ए के बैंक खातों में ₹ 3,331.68 करोड़ अव्ययित रहे।

4. आकस्मिकता निधि:

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि के संरक्षण एवं इससे धनराशि के संवितरण और आहरण से सम्बंधित सभी मामलों को विनियमित करने के लिए आकस्मिकता निधि नियम 2001 बनाया है | उत्तराखंड राज्य के आकस्मिकता निधि का संग्रह ₹ 500.00 करोड़ है | 2022-23 के अंत में ₹ 178.50 करोड़ विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत अनापूर्ति रहे | विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष	धनराशि
1	न्याय प्रशासन	1.27
2	निर्वाचन	0.05
3	लोक सेवा आयोग	27.12
4	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	27.31
5	जेलें	3.00
6	जल आपूर्ति तथा सफाई	12.43
7	शहरी विकास	0.20
8	श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास	0.97

9	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	0.50
10	प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत	45.00
11	वानिकी तथा वन्य जीवन	0.60
12	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	29.04
13	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	15.64
14	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	15.37
योग		178.50

31 मार्च 2023 को आकस्मिकता निधि का शेष ₹ 321.50 करोड़ था |
प्रासंगिक आंकड़ें वित्त लेखों के विवरण सं. 1, 2 एवं 21 में उपलब्ध हैं |

5. लोक लेखा:

(i) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली:

वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जो कि एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है, में कुल योगदान ₹ 1,411.77 करोड़ (कर्मचारी अंशदान ₹ 589.63 करोड़ और सरकारी अंशदान ₹ 822.14 करोड़) था | सरकारी अंशदान पर विस्तृत सूचना वित्त लेखों के विवरण सं. 15 में उपलब्ध है | सरकार ने मुख्य शीर्ष 8342-117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत ₹ 1,431.77 करोड़ (₹ 20.00 करोड़ के ब्याज भुगतान सहित) लोक लेखा में हस्तांतरित किये | एन.पी.एस. में सरकार का अंशदान ₹ 3.34 करोड़ कम था, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई |

(ii)(क) ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ:

(अ) राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF):

राज्य आपदा मोचन कोष के संघटन और प्रशासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार (ब्याज सहित संभाग के अंतर्गत मुख्य शीर्ष '8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधियाँ' के अंतर्गत) केंद्र और राज्य सरकारों को निधि में 90:10 के अनुपात में अंशदान करना होता है | वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केंद्र सरकार के अंशदान के रूप में ₹ 787.20 करोड़ प्राप्त हुए | वर्ष के दौरान राज्य सरकार का हिस्सा ₹ 87.20 करोड़ था | राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष 8121-122 राज्य आपदा मोचन कोष के अंतर्गत निधि में ₹ 874.40 करोड़ (₹ 787.20 करोड़ केंद्र हिस्सा, ₹ 87.20 करोड़ राज्य हिस्सा) हस्तांतरित किये | राज्य सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष हेतु केंद्र सरकार से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई |

(ब) राज्य आपदा शमन कोष (SDMF):

राज्य आपदा शमन कोष (एस.डी.एम.एफ.) का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48 (1) (सी) के तहत किया जाना है। यह कोष विशेष रूप से राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) दिशानिर्देशों और समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य विशिष्ट स्थानीय आपदा के तहत आने वाली आपदा के संबंध में शमन परियोजना के उद्देश्य हेतु है। राज्य सरकार ने प्रमुख शीर्ष 8121-130- राज्य आपदा शमन कोष के तहत अधिसूचना संख्या 710/XVIII (2)/08-3(15)/2007 दिनांक: 05.05.2008 के तहत राज्य आपदा शमन कोष का गठन किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से ₹ 98.40 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष के दौरान राज्य सरकार का अंश ₹ 21.80 करोड़ है। राज्य सरकार ने निधि में ₹ 120.20 करोड़ हस्तांतरित किये।

(ब) राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि:

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशियों से प्रतिकरात्मक वनरोपण का कार्य करने के लिए राज्य के लोक लेखा में ब्याज सहित आरक्षित निधियाँ खण्ड के अंतर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि की स्थापना करना आवश्यक है |

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार ने मुख्य शीर्ष '8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि' के अंतर्गत राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में ₹ 256.68 करोड़ (₹ 150.00 करोड़ ब्याज + ₹ 106.68 करोड़ उपयोगकर्ता शुल्क) की राशि पुस्तांकित की गयी। वर्ष के दौरान सरकार को राष्ट्रीय प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा से ₹ 119.00 करोड़ (पूर्व वर्ष में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई |) की राशि प्राप्त हुई। राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि में 31 मार्च, 2023 को कुल शेष राशि ₹ 3,019.57 करोड़ थी |

राज्य सरकार ने 20 नवंबर 2018 को भारत सरकार द्वारा जारी लेखांकन दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के नियम 2 (6) के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसियों से राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त धन को राज्य के सार्वजनिक खाते में ब्याज वाले अनुभाग के तहत मुख्य शीर्ष 8336-सिविल जमा के नीचे लघु शीर्ष स्तर पर 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा' में जमा किया जाना चाहिए। निधि का 90 प्रतिशत हिस्सा राज्य के सार्वजनिक खाते में मुख्य शीर्ष 8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित किया जाना चाहिए और शेष 10 प्रतिशत वार्षिक आधार पर राष्ट्रीय निधि में जमा किया जाना चाहिए, बशर्ते कि 10 प्रतिशत केंद्रीय हिस्सेदारी का जमा मासिक आधार पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि इसे राष्ट्रीय निधि में स्थानांतरित किया जा सके। उत्तराखण्ड राज्य सरकार ने अभी तक प्रमुख शीर्ष 8336-सिविल जमा के तहत 'राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण जमा' नहीं खोला है और उपयोगकर्ता एजेंसियों से पैसा सीधे मुख्य शीर्ष 8121 सामान्य और अन्य आरक्षित निधि में प्राप्त होता है।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2023 को सम्पूर्ण राशि ₹ 375.68 करोड़ सीधे लोक लेखे में मुख्य शीर्ष -8121-129-राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि के अंतर्गत निधि में स्थानांतरित कर दी।

(ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ:

(अ) समेकित ऋण शोधन निधि:

वर्ष 2006-07 में उत्तराखण्ड सरकार ने ऋणों के परिशोधन के लिए समेकित ऋण शोधन निधि की स्थापना की | निधि के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य को पिछले वर्ष के अंत में बकाया देयताओं (आंतरिक ऋण + लोक लेखा) का कम से कम 0.5 प्रतिशत समेकित ऋण शोधन निधि में अंशदान करना आवश्यक है | वर्ष 2022-23 में सरकार ने आवश्यक योगदान ₹ 385.12 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 100.00 करोड़ का योगदान दिया | 31 मार्च 2023 को निधि का कुल संचय ₹ 4,304.72 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹ 3,888.55 करोड़) था | ₹ 285.12 करोड़ के कम योगदान के कारण राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई |

(ब) प्रत्याभूति मोचन निधि: राज्य सरकार ने प्रत्याभूति मोचन निधि की स्थापना की जिसका प्रबंधन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है | राज्य सरकार द्वारा जारी निधि अधिसूचना में नवीनतम संशोधन जो वर्ष 2016 से प्रभावी है के अनुसार राज्य सरकार प्रारंभ में ₹ 10.00 करोड़ की राशि का योगदान करेगी और उसके बाद बकाया आहूत प्रत्याभूतियों और वर्ष के दौरान जारी की गई वृद्धिशील प्रत्याभूतियों के परिणामस्वरूप संभावित प्रत्याभूतियों की राशि का न्यूनतम 1/5 भाग योगदान करेगी | निधि को धीरे-धीरे एक ऐसे वांछनीय स्तर तक बढ़ाया जाएगा जिसे अगले 5 वर्षों में बकाया प्रत्याभूतियों के संभावित आह्वान से सरकार पर अवक्रमित प्रत्याशित प्रत्याभूतियों की राशि को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जा सके | वर्ष के दौरान सरकार ने निधि में ₹ 74.87 करोड़ के सापेक्ष केवल ₹ 10.00 करोड़ का योगदान दिया | 31 मार्च 2023 को निधि का कुल संचयन ₹ 176.75 करोड़ (31 मार्च 2022 को ₹ 153.92 करोड़) था | ₹ 64.87 करोड़ के कम योगदान के कारण राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई |

निधि में लेन-देन को वित्त खातों के विवरण 21 और 22 में दर्शाया गया है।

(स) केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ): भारत सरकार की दिनांक 31-03-2018 की राजपत्र अधिसूचना के तहत पूर्ववर्ती केन्द्रीय सड़क निधि (सीआरएफ) का नाम बदलकर केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) कर दिया गया है। सीआरआईएफ का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों, रेलवे परियोजनाओं के विकास और रखरखाव, रेलवे, राज्य और ग्रामीण सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे में सुरक्षा में सुधार आदि के लिए किया जाएगा।

मौजूदा लेखांकन प्रक्रिया के संदर्भ में, केंद्र से राज्य को प्राप्त अनुदान को शुरू में मुख्य शीर्ष 1601 के तहत राजस्व प्राप्तियों के रूप में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, प्राप्त राशि को राज्य सरकार द्वारा कार्यात्मक प्रमुख शीर्षों के माध्यम से लोक लेखे के प्रमुख शीर्ष 8224-101-केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि में स्थानांतरित किया जाना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार को सीआरआईएफ के लिए ₹ 378.17 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक खाते में निधि में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की गई थी। ₹ 285.12 करोड़ की राशि के हस्तांतरित न होने के कारण इस सीमा तक राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई।

(iii) उच्चत एवं प्रेषण शेष:

वित्त लेखों में उच्चत और प्रेषण के निवल शेष दर्शाए जाते हैं | 31 मार्च 2023 को इन शीर्षों के तहत बकाया शेष राशि, जिसकी गणना विभिन्न शीर्षों के तहत अलग-अलग बकाया नामे (डेबिट) और जमा (क्रेडिट) शेष को मिलाकर की जाती है, 04 शीर्षों के अंतर्गत ₹ 238.82 करोड़ (जमा)(31 मार्च 2022 को ₹ 208.38 करोड़(जमा)) थी |

इन शीर्षों के अंतर्गत बकाया राशियाँ बचे रहने से राज्य सरकार के विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति/व्यय के आंकड़ों (जिन्हें वर्ष दर वर्ष आगे ले जाया जाता है) और शेषों की सटीकता प्रभावित होती है |

(iv) चेक और बिल:

मुख्य शीर्ष 8670 चेक और बिल के अंतर्गत जमा शेष जारी किये गये लेकिन नकदीकरण ना किये गये चेकों को दर्शाता है | 1 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष ₹ 349.72 करोड़ (जमा) था | वर्ष 2022-23 के दौरान ₹ 49,375.90 करोड़ के चेक जारी किये गये जिसके सापेक्ष ₹ 49,661.31 करोड़ के चेक नकदीकरण किये गये जिससे 31 मार्च 2023 को ₹ 64.31 करोड़ (जमा) शेष बाकी रह गया | अंतिम शेष उस व्यय को दर्शाता है जो मूल रूप से अलग-अलग मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्षों में पुस्तांकित किया गया था और जिससे 31 मार्च 2023 तक उत्तराखण्ड सरकार को कोई नकद बहिर्वाह नहीं हुआ है |

(v) उपकर/शुल्क/अधिभार:

वर्ष 2022-23 के दौरान उत्तराखण्ड सरकार ने उपकर/शुल्क/अधिभार (श्रम उपकर के अलावा) के रूप में ₹ 70.56 करोड़ (2021-22 ₹ 72.00 करोड़) संग्रहित किये | ₹ 72.00 करोड़ की राशि मुख्य शीर्ष '0801-ऊर्जा -01-जल विद्युत उत्पादन और 05-संचरण और वितरण-800-अन्य प्राप्ति' के अंतर्गत सरकार के राजस्व के रूप में पुस्तांकित की गयी है | उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम 2014 के धारा 6 और 7(1) के अनुसार राज्य सरकार को एक 'हरित ऊर्जा निधि' स्थापित करने और उपकर से प्राप्तियों को राज्य की समेकित निधि से इस निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है | 31 मार्च 2023 तक राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई निधि स्थापित नहीं की गयी है | इससे ₹ 72.00 करोड़ से राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति हुई है |

(vi) प्रतिकूल शेष:

वर्ष के दौरान लेखों में दिखने वाले ऋणात्मक शेष निम्नवत हैं | ये ऋणात्मक शेष गलत पुस्तांकन की वजह से थे और इन्हें सही किया जा रहा है |

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष विवरण	ऋणात्मक शेष
6851	ग्राम और लघु उद्योगों हेतु ऋण	(-)0.18
7610	सरकारी कर्मचारियों हेतु ऋण	(-)20.08

(vii) रोकड़ शेष:

31 मार्च 2023 को महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार रोकड़ शेष ₹ 131.82 करोड़ (जमा) था और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह ₹ 0.85 (नामे) प्रतिवेदित किया गया | दोनों में ₹ 130.97 करोड़ (जमा) का निवल अंतर था जो मुख्यतः कोषागारों द्वारा मिलान न कराए जाने की वजह से था | अंतर का मिलान किया जा रहा है |

प्रासंगिक आंकड़े वित्त लेखों के विवरण सं. 21 में उपलब्ध हैं |

31 मार्च 2022 को महालेखाकार के अभिलेखों के अनुसार रोकड़ शेष ₹ 112.47 करोड़ (नामे) था और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यह ₹ 6.03 (जमा) प्रतिवेदित किया गया | दोनों में ₹ 118.50 (नामे) करोड़ का निवल अंतर था जो मुख्यतः कोषागारों द्वारा मिलान न कराए जाने की वजह से था |

(viii) डी.डी.ओ. के अपने खातों में स्थानांतरण: आई.एफ.एम.एस. डाटा के अनुसार, ₹ 787.12 करोड़ की धनराशि सरकारी लेखे के बाहर डी.डी.ओ. के बैंक खातों में स्थानांतरित की गयी |

6. राजस्व व्यय पर प्रभाव:

राज्यों के वित्तीय साधनों पर गलत वर्गीकरण/सांविधिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन का प्रभाव, जैसा कि पूर्ववर्ती पैरा में बताया गया है, नीचे सारणीबद्ध है:

पैरा सं.	मद (उदाहरणात्मक)	राजस्व व्यय की अत्युक्ति (₹ करोड़ में)	राजस्व व्यय की न्युनोक्ति (₹ करोड़ में)
3(ii)	राजस्व और पूँजीगत के बीच गलत वर्गीकरण	15.23	...
5(i)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान	...	3.34
5(ii)(B)(a)	समेकित ऋण शोधन निधि	...	285.12
5(ii)(B)(b)	प्रत्याभूति मोचन निधि	...	64.87
5(ii)(B)(c)	केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि	...	378.17
5(v)	उपकर/शुल्क/अधिभार	...	72.00
कुल (निवल) प्रभाव		₹ 788.27 न्युनोक्ति	

© भारत के नियंत्रक
एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ae/uttarakhand/hi>

Printed by: Censer Advertising Pvt Ltd. (M) 9810213218